रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 02 अगस्त 2025 ई० (श्रावण 11, 1947 शक संवत्) [संख्या 31

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	421–428	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	825–846	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1203-1229	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राजस्व विभाग

अनुभाग–14

अधिसूचना

11 जुलाई, 2025 ई0

सं0 222/एक-14-2025–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-पाँच में उल्लिखित जिला-जौनपुर के दो ग्राम, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम
1	2	3	4	5
1.	जौनपुर	मछलीशहर	मड़ियाहूँ	टेकारी
2.	जौनपुर	सदर	हवेली	जगदीशपुर

आज्ञा से,
पी0 गुरु प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Anubhag-14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification no. 222/1-14-2025, dated 11 July, 2025

NOTIFICATION

July 11, 2025

No. 222/1-14-2025–In exercise of the powers under sub-section (1) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that two villages of District Jaunpur mentioned in Column-V of the Schedule below shall be placed under survey and record operations with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

S. No.	District	Tehsil	Pargana	Village
I	II	III	IV	V
1.	Jaunpur	Machhlishahar	Mariyahu	Tekari
2.	Jaunpur	Sadar	Haveli	Jagdishpur

By Order,
P. Guru Prasad,
Principal Secretary.

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-3

त्याग-पत्र

04 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 I/814392/2024—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर विज्ञप्ति औपबन्धिक नियुक्ति आदेश संख्या-291/दो-3-2023, दिनांक 23 मार्च, 2023 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-टी-85/दो-3-2023, दिनांक 29 मई, 2023 के माध्यम से उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्त श्री श्रीकेश कुमार राय, उपजिलाधिकारी, जौनपुर का संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2022 के आधार पर यू0पी0एस0सी0 सिविल सर्विसेज-2022 में आई0पी0एस0 के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप उक्त सेवा में दिनांक 08 दिसम्बर, 2024 को कार्यभार ग्रहण करने/प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु श्री श्रीकेश कुमार राय द्वारा अपने पत्र दिनांक 05 नवम्बर, 2024 के माध्यम से त्याग-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्या-08/राजस्व सहायक कलेक्ट्रेट जौनपुर, दिनांक 08 नवम्बर, 2024 व पत्र संख्या-65/राजस्व सहायक कलेक्ट्रेट जौनपुर, दिनांक 21 नवम्बर, 2024 द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

अतः श्री राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना दिनांक 26 जून, 2000 द्वारा पारित उ0प्र0 सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली-2000 के नियम-5 में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान धारित पद से पृथक सेवायोजन के लिए श्री श्रीकेश कुमार राय, उपजिलाधिकारी, जौनपुर का उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) से त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने पर सहर्ष अनुमति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
विनीत प्रकाश,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

23 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 9581/दो-4-2024—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-15029/IV-4509/एडमिन(ए-1), दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के क्रम में एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-250(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत सुश्री आंचल राणा (Ms. Anchal Rana), अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), एटा का नाम परिवर्तित कर श्रीमती आंचल राणा धवन (Smt. Anchal Rana Dhawan) किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
विजय कुमार,
विशेष सचिव।

अनुभाग-5

प्रोन्नति

25 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 I/833234/2024—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2000 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारी श्री अमित गुप्ता को भारतीय प्रशासनिक सेवा के एबव सुपर टाइम वेतनमान रु0 1,82,200-2,24,100 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-15) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि वे आगामी 02 वर्षो में अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम फेज-4 अवश्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।

सं0 I/833235/2024—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2000 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के एबव सुपर टाइम वेतनमान रु0 1,82,200-2,24,100 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-15) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति प्रदान करती हैं—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	सौरभ बाबू	2000
2	मनीष चौहान	2000
3	रंजन कुमार	2000
4	अनुराग यादव	2000
5	रणवीर प्रसाद	2000

सं0 I/833236/2024—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2010 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारी श्री भवानी सिंह खंगारौत को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,100-2,15,900 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि वे आगामी वर्ष 2025 में अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम फेज-3 अवश्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।

सं0 I/833237/2024—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2011 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह यादव को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,100-2,15,900 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान करती हैं कि वे आगामी वर्ष 2025 में अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम फेज-3 अवश्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।

सं0 I/833238/2024—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2011 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,100-2,15,900 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति प्रदान करती हैं।

सं0 I/833240/2024—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2012 बैच के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,100-2,15,900 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति प्रदान करती हैं।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
	(सर्वश्री / श्रीमती)—	
1	अमित सिंह बंसल	2012
2	ए0 दिनेश कुमार	2012
3	शिव प्रसाद	2012
4	रेणु तिवारी	2012
5	शेष मणि पाण्डेय	2012
6	राकेश कुमार	2012
7	शेष नाथ	2012
8	नीरज शुक्ला	2012
9	राजेश कुमार राय	2012
10	श्रीहरि प्रताप शाही	2012
11	अरूण प्रकाश	2012
12	राम सिंहासन प्रेम	2012
13	चन्द्र शेखर	2012
14	ज्ञानेश्वर त्रिपाठी	2012
15	दिनेश चन्द्र	2012
16	डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया	2012
17	मनोज कुमार-II	2012
18	डॉ0 चन्द्र भूषण	2012
19	ब्रजराज सिंह यादव	2012
20	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	2012
21	महेन्द्र वर्मा	2012
22	राहुल सिंह	2012

सं0 I/833242/2024—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2012 बैच के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,100-2,15,900 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान करती हैं कि वे आगामी वर्ष 2025 में अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम फेज-3 अवश्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
	(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)–	
1	रवीश गुप्ता	2012
2	नेहा प्रकाश	2012
3	डॉ0 उज्जवल कुमार	2012
4	अंकित कुमार अग्रवाल	2012
5	शर्मा प्रशान्त	2012
6	प्रवीण कुमार लक्षकार	2012
7	जसजीत कौर	2012
8	सी0 इन्दुमती	2012
9	अरूण कुमार (12)	2012
10	चन्द्र विजय सिंह	2012
11	संजीव सिंह	2012
12	अभिषेक सिंह (12)	2012
13	टी0के0 शिबु	2012
14	संजय कुमार सिंह	2012
15	देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा	2012
16	मनोज कुमार-I	2012
17	राधे श्याम	2012
18	उमेश मिश्रा	2012
19	उमेश प्रताप सिंह	2012
20	चन्द्र प्रकाश सिंह	2012
21	मंगला प्रसाद सिंह	2012
22	राजेश कुमार पाण्डेय	2012
23	प्रवीण मिश्र	2012

सं0 I/833243/2024–श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2012 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,100-2,15,900 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान करती हैं।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
1	सुश्री यशु रूस्तगी	2012
2	डॉ0 विभा चहल	2012

सं0 I/833245/2024–श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2009 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-14) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति प्रदान करती हैं।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
	(सर्वश्री)–	
1	ब्रजेश नारायण सिंह	2009
2	राकेश कुमार मिश्र	2009
3	रमाकान्त पाण्डेय	2009
4	आनन्द कुमार सिंह	2009
5	राजेश कुमार	2009
6	मार्कण्डेय शाही	2009
7	अविनाश कृष्ण सिंह	2009
8	राजेश प्रकाश	2009
9	डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा	2009
10	डॉ0 अनिल कुमार	2009
11	डॉ0 हीरा लाल	2009
12	शैलेन्द्र कुमार सिंह	2009
13	राकेश कुमार सिंह	2009
14	डॉ0 अनिल कुमार सिंह	2009
15	साहब सिंह	2009
16	मानवेन्द्र सिंह	2009
17	अटल कुमार राय	2009
18	नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	2009

सं0 I/833247/2024–श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2009 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-14) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान करती हैं कि निम्नलिखित अधिकारी आगामी 02 वर्षों में अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम फेज-4 अवश्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
	(सर्वश्री / श्रीमती)–	
1	सूर्य पाल गंगवार	2009
2	डॉ0 रूपेश कुमार	2009
3	अनुज कुमार झा	2009
4	माला श्रीवास्तव	2009
5	डॉ0 नितिन बंसल	2009
6	मासूम अली सरवर	2009

1	2	3
	(सर्वश्री)–	
7	विजय किरन आनन्द	2009
8	भानु चन्द्र गोस्वामी	2009
9	प्रकाश बिन्दु	2009
10	एस0 राजलिंगम	2009
11	विवेक	2009
12	भूपेन्द्र एस0 चौधरी	2009
13	वैभव श्रीवास्तव	2009
14	अजीत कुमार	2009
15	प्रमोद कुमार उपाध्याय	2009
16	जगदीश	2009
17	संगीता सिंह	2009
18	इन्द्रविक्रम सिंह	2009

सं0 I/833248/2024–श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2009 बैच के निम्नलिखित आई0ए0एस0 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-14) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोफार्मा प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान करती हैं कि आगामी 02 वर्षों में अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम फेज-4 अवश्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
	(सर्वसुश्री)–	
1	शुभ्रा सक्सेना	2009
2	अदिति सिंह	2009

सं0 I/833249/2024–श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2000 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारी श्री दीपक अग्रवाल को भारतीय प्रशासनिक सेवा के एबव सुपरटाइम वेतनमान रु0 1,82,200-2,24,100 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-15) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोफार्मा प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान करती हैं कि वे आगामी 02 वर्षो में अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम फेज-4 अवश्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–18 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 02 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 11, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

विज्ञप्ति

03 जनवरी, 2024 ई0

सं0 713/डी0एल0आर0सी0/2023–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 एवं उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-16-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों तथा उप-जिलाधिकारी दादरी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 को दृष्टिगत रखते हुए मै, मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर निम्न अनुसूची के स्तम्भ-5 व 6 में उल्लिखित ग्राम-सभा की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ड्रगवेयर हाउस के निर्माण हेतु इस शर्त के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ कि निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराना होगा–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुर्नग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	लुहारली	57	0.5000 हेक्टेयर	श्रेणी 6-(4) ऊसर	ड्रगवेयर हाउस के निर्माण हेतु

22 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1011/डी0एल0आर0सी0/2024— उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 तथा उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-818/नौ-5-19-56सा/2018 दिनांक 07 मार्च, 2019 एवं शासनादेश संख्या-4154/नौ-5-19-56सा/2018 दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों तथा उप-जिलाधिकारी जेवर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 20 फरवरी, 2024 को दृष्टिगत रखते हुए मै मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर निम्न अनुसूची के स्तम्भ-5 व 6 में उल्लिखित ग्राम सभा की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए नगर पंचायत जहांगीरपुर के शिरोपरी जलाशय व नलकूप के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-5 के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07 मार्च, 2019 व 09 अक्टूबर, 2019 में वर्णित प्राविधानों के कम में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुर्नग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	जहांगीरपुर	1053	0.1400 में से 0.1100 हेक्टेयर	श्रेणी 6-3 शोर भूमि	नगर पंचायत जहांगीरपुर के शिरापरी जलाशय व नलकूप के निर्माण हेतु

सं0 1012/डी0एल0आर0सी0/2024— उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 तथा उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-818/नौ-5-19-56सा/2018 दिनांक 07 मार्च, 2019 एवं शासनादेश संख्या-4154/नौ-5-19-56सा/2018 दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों तथा उप-जिलाधिकारी जेवर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 20 फरवरी, 2024 को दृष्टिगत रखते हुए मै, मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर निम्न अनुसूची के स्तम्भ-5 व 6 में उल्लिखित ग्राम सभा की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए नगर पंचायत जहांगीरपुर के मैटिरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेन्टर (ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन) के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-5 के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07 मार्च, 2019 व 09 अक्टूबर, 2019 में वर्णित प्राविधानों के कम में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुर्नग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	जहांगीरपुर	982	0.1330 हेक्टेयर	श्रेणी 5-1 नवीन परती	नगर पंचायत जहांगीरपुर के मैटिरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेन्टर (ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन) के निर्माण हेतु

28 अगस्त, 2024 ई0

सं0 2134/डी0एल0आर0सी0/2024– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 तथा शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में वर्णित प्राविधानों, उप-जिलाधिकारी जेवर द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या दिनांक 17 नवम्बर, 2023 तथा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या दिनांक 23 अगस्त, 2024, महाप्रबन्धक नियोजन एवं वास्तुकला, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई अनापत्ति दिनांक 04 अगस्त, 2023 के क्रम में मैं, मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर निम्न अनुसूची के स्तम्भ-5 व 6 में उल्लिखित ग्राम सभा की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुर्नग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	भुन्नातगा	320	0.0200 हेक्टेयर	श्रेणी 5-1 नवीन परती	आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु

मनीष कुमार वर्मा,
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

आदेश

15 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1431/सात-भू0सु0-2024–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं 89/2023/1281/ छप्पन-2023-34/1994 दिनांक 04 सितम्बर, 2023 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस0 राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम-संख्या 6/7 में उल्लिखित आ0नं0-201/2 रकबा 0.004 हे0 बंजर भूमि को लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु महामहिम ''श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश को हस्तगत कराया जाय–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट संख्या / गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	पिण्डारा	कोलअसला	बैकुण्ठपुर	आ0नं0-201 / 2 बंजर	0.004 हेक्टेयर	श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 (लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु)

सं0 1432 / सात-भू0सु0-2024—शासनादेश संख्या-32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं 89 / 2023 / 1281 / छप्पन-2023-34 / 1994 दिनांक 04 सितम्बर, 2023 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस0 राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम-संख्या 6 / 7 में उल्लिखित आ0नं0-56 रकबा 0.004 हे0, (बंजर) आ0नं0-64 रकबा 0.012 हे0, आ0नं0-210 रकबा 0.012 हे0, आ0नं0 211 रकबा 0.113 हे0 (नवीन परती) कुल 04 गाटा रकबा 0.141 हे0 भूमि को लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु महामहिम ''श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश को हस्तगत कराया जाय।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट संख्या / गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	पिण्डारा	कोलअसला	घमहापुर (कर्मी)	आ0नं0-56 रकबा 0.004 हे0, (बंजर) आ0नं0-64 रकबा 0.012 हे0, आ0नं0-210 रकबा 0.012 हे0, आ0नं0-211 रकबा 0.113 हे0 (नवीन परती)	0.141 हेक्टेयर	श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 (लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु)

31 जुलाई, 2024 ई0

सं0 1622/सात-भू0सु0-2024–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व, संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस0 राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम-संख्या 6/7 में उल्लिखित आ0नं0-1177ग रकबा 0.7330 हे0 में से .1,000 हे0 बंजर भूमि को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाय।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट संख्या/ गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	राजातालाब	कसवार राजा	बाराडीह	आ0नं0-1177ग बंजर	.1000 वर्ग मीटर	आयुष विभाग (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

एस0 राजलिंगम,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

कार्यालय, आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी

आकार पत्र-1

17 अगस्त, 2024 ई0

सं0 791/12ए-एल0आर0ए0-58(2023-24)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक-426/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 12 अगस्त, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बरूआपुरा	409	0.130	श्रेणी-5(3) कृषि योग्य बंजर भूमि	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					728	1.113		
					729	0.089		
					732	1.327		
					733	0.028		
					734	0.214		
					735	0.138		
					736	2.610		
					737	2.051		
					738	0.401		
					739	2.185		
					740	0.995		
					741	2.076		
					योग. .	**13.357**		

27 अगस्त, 2024 ई0

सं0 821 / 12ए-एल0आर0ए0-59(2023-24)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक-427 / 12ए-डी0एल0आर0सी0 / पुनर्ग्रहण / 2023-24 दिनांक 12 अगस्त, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578 / एक-1-1099 / 46 / 2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	रमपुरा	24	0.882	श्रेणी-6(4) टोरिया पत्थर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					25 / 3	0.153		
					45मि0	13.589		
					136 / 1	7.668		
					योग. .	**22.292**		

बिमल कुमार दुबे,
आयुक्त,
झाँसी मण्डल, झाँसी।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

आकार पत्र-1

10 फरवरी, 2024 ई0

सं0 856 / आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2023-24)–शासनादेश संख्या-258 / रा0-1 / 16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करे हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	रोंड़ा गांवसभा रोंड़ा	2279 / 5	3.237 हे0	श्रेणी 6(4) / जो अन्य कारणों से अकृषित हो	''मुख्यमंत्री माटडल कम्पोजिट विद्यालय'' (प्री–प्राइमरी से कक्षा–12) निर्मित किये जाने हेतु शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क

अक्षय त्रिपाठी,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

कार्यालय, जिलाधिकारी महोबा की आज्ञायें

18 जुलाई, 2024 ई0

आकार पत्र-1

सं0 192 / डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण / 2024-25—शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 एवं शासनादेश संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये पूर्व में कार्यालय जिलाधिकारी महोबा के आदेश संख्या-54 / डी0एल0आर0सी-12ए-पुर्नग्रहण / 2022-23 दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 द्वारा कुल 5 किता-रकवा 11.749 हे0 (29.3 एकड़) भूमि जो चिकित्सा शिक्षा विभाग को मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु पुर्नग्रहीत की गयी थी। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1 / 678709 / 2024 चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 28 जून, 2024 एवं आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा के पत्र संख्या-2748 / आर0ए0-पुर्नग्रहण-चिकि0 विभाग / 2024-25 दिनांक 02 जुलाई, 2024 द्वारा 11.749 हे0 (29.3 एकड़) में से 9.03 एकड़ भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुर्नग्रहीत की जानी है। जिसके क्रम में मैं, जिलाधिकारी / कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव / मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	मुड़हरा	484ख	6.912हे0 में से 3.657 हेक्टेयर (9.03 एकड़)	श्रीणी—6—4 जो अन्य कारणों से अकृषित हो ऊसर	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 के पक्ष में
				कुल रकवा		3.657 हे0		

मृदुल चौधरी,
जिलाधिकारी / कलेक्टर,
महोबा।

कार्यालय, अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

आकार पत्र-1

06 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1559(4)/डी0एस0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील, अतरौली के ग्राम नवीपुर परगना गंगीरी में नवीन 220 के0वी0 विद्युत उप-संस्थान के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिये पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन/वितरण निगमों (मंध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केस्को व उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0) को हस्तान्तरित करता हूँ। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुर्नग्रहित भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	अतरौली	गंगीरी	नवीपुर	1705	19.146 में से 5.00 हेक्टेयर	5-3ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नवीन 220 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान, के निर्माण हेतु। ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

विशाख जी,

जिलाधिकारी, अलीगढ़।

कार्यालय, मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

भूलेख अनुभाग

27 जुलाई, 2024 ई0

सं0 709 / सात-डी0एल0आर0सी0 / पुन0 / 2024—श्शासनादेश संख्या-744 / एक-1 / 2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए मैं, दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी सरधना द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव दिनांक 06 जुलाई, 2024 के क्रम में राजकीय यूनानी चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखता हूँ—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
मेरठ	सरधना	दौराला	मछरी	661	0.0560 हेक्टेयर	नवीन परती / अस्पताल हेतु आरक्षित	आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए राजकीय यूनानी चिकित्सालय की स्थापना हेतु

दीपक मीणा,

जिलाधिकारी-मेरठ।

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद

विज्ञप्ति

09 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1309 / सी0आर0ए0 / 2024—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद के तहसील लोनी में कार्यरत श्री जय देव साहू, संग्रह अमीन को निर्गत रसीद बुक गुम हो गयी है, जिसकी रोजनामचा सं0-029, दिनांक 29 जनवरी, 2024 को थाना साहिबाबाद में दर्ज करा दी गयी है। गुम हुयी रसीद बही का विवरण निम्न प्रकार है—

अनुसूची

क्रमांक	अमीन का नाम	रसीद बही का प्रकार	रसीद बही की संख्या (प्रयोग शुदा)	बिना प्रयोग शुदा रसीदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	श्री जय देव साहू, संग्रह अमीन	593801—593900	593801—593846	593847—593900

उपरोक्त रसीद बुक के बिना प्रयोग शुदा प्रतिपणों को अनाधिकृत घोषित किया जाता है। इस प्रतिपर्णों का प्रयोग अवैधानिक होगा तथा इनके माध्यम से किये जाने वाले किसी भी भुगतान को स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि उक्त रसीद बही किसी व्यक्ति को मिले तो इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सौरभ भट्ट,
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
गाजियाबाद।

04 जनवरी, 2024 ई0

सं0 388/सात-डी0एल0आर0सी0/पुन0/गाजियाबाद-2023—उप-जिलाधिकारी मोदीनगर के पत्र संख्या-162/एसटी-एसडीएम/2023 दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार सिह, जिलाधिकारी-गाजियाबाद, ग्राम मुरादाबाद, परगना-जलालाबाद तहसील-मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद में स्थित श्रेणी 6-1 तथा 6-2 के अन्तर्गत दर्ज खसरा संख्या-666/ 0.0010 हे0 नाली श्रेणी 6-1, खसरा संख्या-659/0.0040 हे0 श्रेणी 6-1/नाली, खसरा संख्या-658/0.0045 हे0 श्रेणी 6-2/चकमार्ग, खसरा संख्या-638/0.0235 हे0 श्रेणी 6-2/चकमार्ग, खसरा संख्या-606/0.0028 हे0 श्रेणी 6-1/नाली, खसरा संख्या-597/0.0034 हे0 श्रेणी 6-2/चकमार्ग कुल खसरा नम्बरान 06 कुल रकबा 0.0392 हे0 के बदले उसी प्रयोजन हेतु ग्राम-मुरादाबाद परगना-जलालाबाद तहसील-मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद में स्थित ऊसर खाते में दर्ज खसरा सं0 300/0.1300हे0 में से रकबा 0.0392 हे0 जो श्रेणी 6 (4) के अन्तर्गत दर्ज है, को आरक्षित करते हुए प्रस्तावित भूमि के सःशुल्क श्रेणी परिवर्तन तथा उक्त संहिता की धारा-59 की उपधारा 4(ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्रेणी परिवर्तित की गयी भूमि खसरा संख्या 666/0.0010हे0 नाली श्रेणी 6-1, खसरा संख्या 659/0.0040 हे0 श्रेणी 6-1/नाली, खसरा संख्या 658/0.0045 हे0 श्रेणी 6-2/चकमार्ग, खसरा संख्या 638/0.0235 हे0 श्रेणी 6-2/चकमार्ग, खसरा संख्या 606/0.0028 हे0 श्रेणी 6-1/नाली, खसरा संख्या 597/0.0034हे0 श्रेणी 6-2/चकमार्ग कुल खसरा नम्बरान 06 कुल रकबा 0.0392 हे0 स्थित ग्राम-मुरादाबाद, परगना-जलालाबाद, तहसील-मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद का पूर्वी डेडीकेटिड फ्रैंट कोरीडोर परियोजना हेतु पुनर्ग्रहण करते हुए लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूँ—

1— ग्राम-मुरादाबाद, परगना-जलालाबाद, तहसील-मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद में स्थित ग्राम सभा की खसरा संख्या 666/0.0010 हे0 नाली श्रेणी 6-1, खसरा संख्या 659/0.0040 हे0 श्रेणी 6-1/नाली, खसरा संख्या 658/0.0045 हे0 श्रेणी 6-2/चकमार्ग, खसरा संख्या 638/0.0235 हे0 श्रेणी 6-2/चकमार्ग, खसरा संख्या 606/0.0028 हे0 श्रेणी 6-1/नाली, खसरा संख्या 597/0.0034 हे0 श्रेणी 6-2/चकमार्ग कुल खसरा नम्बरान 06 कुल रकबा 0.0392 हे0

भूमि का सःशुल्क श्रेणी परिवर्तन पूर्वी डेडीकेटिड फ्रैंट कोरीडोर परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून 2016 के प्रस्तर-4 (3) के अनुसार डेडीकेटिड फ्रैट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0 भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन 01,66,600/– रुपये (एक लाख छियासठ हजार छः सौ रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक ''0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां के नाम जमा कराया जायेगा।

2– शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून 2016 के प्रस्तर 4(1)(ग) के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक में लेखा शीर्षक ''0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां में जमा कराया जायेगा। तदनुसार भूमि का मूल्य अंकन 26,65,600/– रुपये तथा पूँजीकृत मूल्य 288/– रुपये कुल अंकन 26,65,888/– रुपये (छब्बीस लाख, पैंसठ हजार, आठ सौ, अठासी रुपये) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरांत ही कब्जा हस्तान्तरित किया जायेगा।

3– उप-जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा ग्राम मुरादाबाद परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त भूमि को नाली के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

4– पुनर्ग्रहीत की जा रही भूमि का उपयोग, निर्धारित उपयोग से इत्तर नहीं किया जायेगा। यदि भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन हेतु किया जायेगा तो शर्तों के उल्लंघन की दशा में भूमि का पुर्नग्रहण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

राकेश कुमार सिंह,
जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

कार्यालय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती

01 मार्च, 2024 ई0

सं0 2763/UP51T-1369 ट्रक/पंजीयन निरस्त/24–वाहन UP51T-1369 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 426031JSZ015077 इंजन नम्बर 70H62590181 मॉडल 2007 वाहन माह दिनांक 20 अगस्त, 2022 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री संत कुमार सिंह पुत्र स्व0 हरिद्वार सिंह, निवासी-रौता चौराहा, पोस्ट गाँधीनगर, थाना-कोतवाली जनपद-बस्ती द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन दिनांक 20 अगस्त, 2022 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिस कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन पूर्ण रूप से अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या-218 दिनांक 01 मई, 2023 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 11 जनवरी, 2024 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम-22 (अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 20 अगस्त, 2022 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-1369 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 20 अगस्त, 2022 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

एतद्र्थ पंजीयन निरस्तीकरण तिथि दिनांक 20 अगस्त, 2022 के पश्चात यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/संचालन भविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि दिनांक 20 अगस्त, 2022 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु उत्तर दायी होंगे।

पंकज सिंह,
पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग, बस्ती।

कार्यालय, उप परिवहन आयुक्त बरेली, परिक्षेत्र बरेली

01 मार्च, 2024 ई0

सं0 1033/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/रामपुर-31/परिक्षेत्र/2023-24–शासनादेश संख्या-15/2023/604/तीस-4-2023-99/98 परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2023 के माध्यम से प्रदेश में स्थापित मोटर ड्राइविंग, ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना के सम्बन्ध में नवीन मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P.) जारी की गयी थी। पूर्व से स्थापित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को नवीन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किये जाने हेतु 06 माह का समय प्रदान किया गया था। जनपद-रामपुर में स्थापित जिया मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अनुज्ञप्ति संख्या 39/बरेली/परिक्षेत्र/2013 का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रामपुर द्वारा संयुक्त रूप से उक्त शासनादेश के माध्यम से जारी नवीन मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत भौतिक/स्थलीय निरीक्षण करते हुए पत्र संख्या-574/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/2024 दिनांक 28 फरवरी, 2024 के माध्यम से अपनी एवं संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) रामपुर की निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी गयी है। निरीक्षण आख्या के अनुसार जिया मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर नवीन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पाया गया है तथा उक्त शासनादेश में दी गयी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करता है। उक्त ट्रेनिंग स्कूल के पास मात्र हल्का एवं भारी मोटरयान पर प्रशिक्षण देने के लिए सिमुलेटर उपलब्ध है, साक्ष्य के रूप में सिमुलेटर क्रय की रसीद 1 इनवाइस व फोटोग्राफ्स पत्रावली में उपलब्ध है। आख्या में उक्त ट्रेनिंग स्कूल को वाहन संख्या UP22T6179 ट्रक का पृष्ठांकन किये जाने का उल्लेख है।

अंतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रामपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या दिनांक 28 फरवरी, 2024 में की गयी संस्तुति के क्रम में जिया मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर अनुज्ञप्ति संख्या 39/बरेली/परिक्षेत्र/2013 को उक्त शासनादेश संख्या-15/2023/604/तीस-4-2023-99/98 परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P.) के अन्तर्गत केवल हल्का एवं भारी मोटरयान पर प्रशिक्षण देने के लिए मान्य किया जाता है तथा अनुज्ञप्ति में वाहन संख्या UP22T6179 ट्रक पृष्ठांकित की जाती है। यह अनुज्ञप्ति केवल वाहन संख्या UP22T6179 ट्रक पर प्रशिक्षण देने के लिए मान्य है।

सं0 1046/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/शाहजहाँपुर-79/परिक्षेत्र/2023-24–शासनादेश संख्या-15/2023/604/तीस-4-2023-99/98 परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2023 के माध्यम से प्रदेश में स्थापित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना के सम्बन्ध में नवीन मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P.) जारी की गयी थी। पूर्व से स्थापित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को नवीन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किये जाने हेतु 06

माह का समय प्रदान किया गया था। जनपद-शाहजहाँपुर में स्थापित श्री राम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अनुज्ञप्ति संख्या 87/बरेली/परिक्षेत्र/2021 के संचालक द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 उपलब्ध कराया गया है कि वह अपने ट्रेनिंग स्कूल को नवीन मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित समय 26 अक्टूबर, 2023 के भीतर विकसित नहीं कर पाये, जिसके कारण वह श्री राम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के नाम से जारी उक्त अनुज्ञप्ति संख्या 37/बरेली/परिक्षेत्र/2011 को S.O.P. के अन्तर्गत मान्य किये जाने अथवा श्री राम राम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के नाम से नवीन अनुज्ञप्ति जारी कराना चाहते हैं।

अतः संचालक, श्री राम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, पीलीभीत के उक्त अनुरोध-पत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 के क्रम में, मैं, संजय सिंह, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी श्री राम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, शाहजहाँपुर की अनुज्ञप्ति संख्या 87/बरेली/परिक्षेत्र/2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

संजय सिंह,
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी/उप परिवहन आयुक्त,
बरेली परिक्षेत्र बरेली।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

(भूमि अध्याप्ति अनुभाग)

अधिसूचना

04 जुलाई, 2025 ई0

भूमि–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की अधिसूचना

सं0 1764/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2025–भूमि–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर, मथुरा की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जनपद मथुरा में अन्तर्राज्यीय बहुउद्देशीय हब विकसित करने हेतु जनपद–मथुरा, तहसील–गोवर्धन, ग्राम गांठौली रकबा 1.6120 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण गठित कमेटी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन किया गया है तथा कलेक्टर मथुरा को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे कलेक्टर मथुरा द्वारा दिनांक 18 जून, 2025 को अनुमोदित किया गया है।

3–संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना से सम्बन्धित गठित कमेटी की संस्तुतियां निम्नानुसार हैं :–

(क) जनपद मथुरा में अन्तर्राज्यीय बहुउद्देशीय हब विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम गांठौली की 1.6120 हे0 भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना जनहित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति और सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(ख) भूमि के अर्जन से सम्भावित लाभ हब निर्माण के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। हब निर्माण के संरेखण में प्रभावित कुल भूमि जिसको लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रय कर लिया गया है कि तुलना में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

4–इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं–

सारणी

जनपद	तहसील	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
मथुरा	गोवर्धन	गांठौली	1235	0.4410
			1246	1.1710
			योग . .	**1.6120**

6–अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती है।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा–11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्षा कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा (भूमि अध्याप्ति अनुभाग) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

राकेश कुमार
कलेक्टर
भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ, मथुरा।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MATHURA
(Land Acquisition Section)

July 4, 2025

Notification of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

No 1764/S.L.A.O./J.O./Mathura/2025--Under Sub-Section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector, Mathura is of the opinion that for developing Inter-state Multipurpose Hub in District Mathura for public purpose through Executive Engineer, Provincial Division, Public Works

Department, Mathura, land measuring 1.6120 hectare in revenue Village-Gantholi, Pargana-Govardhan, Tehsil-Govardhan, District-Mathura is required.

2. Social Impact Assessment Study has been carried out by the State Social Impact Assessment Committee and its recommendation has been submitted to Collector, Mathura, which had been approved by Collector, Mathura on dated 18 June 2025.

3. In brief, the recommendations of the committee constituted regarding the Socisl Impact Assessment report and Social Impact Management Plan are as follows:-

(a) For developing Inter-state Multipurpose Hub in District Mathura, the acquisition of Land in revenue Village-Gantholi/Land area 1.6120 hectare is in public interest and it fulfills public purpose and the objective of social benefit and social welfare.

(b) The potential benefits of land acquisition are far more than the social costs and adverse social impacts of the Hub construction. The land proposed for acquisition is very less compared to the total land affected in the alignment of the Hub construction which has been purchased by the Public Works Department.

4. No family is being displaced due to land acquisition for this project.

5. Therefore, the Governor is pleased to consent for notifying for general information the land mentioned in the following Schedule for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5
				Hectares
Mathura	Govardhan	Gantholi	1235	0.4410
			1246	1.1710
			Total . .	**1.6120**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps and conduct survey of land, leveling of any land, digging and do all the acts required for the proper execution of the work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person having interest in the land may submit an objection in writing to the Collector against the acquisition of land in his area within 60 (days) of the publication of the notification.

8. Under Section 11 (4) of the Act, no person, shall make or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

Note--The site map of the said land can be inspected in the office of the District Magistrate, Mathura (Land Acquisition Section).

Rakesh Kumar,
Collector, Mathura.
(For the Purpose of Land Aquisition).

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

(भूमि अध्याप्ति अनुभाग)

अधिसूचना

04 जुलाई, 2025 ई0

भूमि–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की अधिसूचना

सं0 1765 / वि0भू0अ0अ0 / सं0सं0 / मथुरा / 2025–भूमि–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर, मथुरा की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जनपद-मथुरा में बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग हेतु तहसील–सदर, राजस्व ग्राम–बाद / क्षे0 0.068455 हेक्टे0, धनगांव / क्षे0 0.237739 हेक्टे0 एवं नवीपुर / क्षे0 0.001967 हेक्टे0 तदनुसार कुल क्षेत्रफल 0.308161 हेक्टे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण गठित कमेटी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन किया गया है तथा कलेक्टर मथुरा को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे कलेक्टर मथुरा द्वारा दिनांक 04 जून, 2025 को अनुमोदित किया गया है।

3–संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना से सम्बन्धित गठित कमेटी की संस्तुतियां निम्नानुसार हैं :–

(क) जनपद-मथुरा में बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग हेतु राजस्व ग्राम–बाद / क्षे0 0.068455 हेक्टे0, धनगांव / क्षे0 0.237739 हेक्टे0 एवं नवीपुर / क्षे0 0.001967 हेक्टे0 तदनुसार कुल क्षेत्रफल 0.308161 हेक्टे0 भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना जनहित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति और सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। उक्त मार्ग निर्माण से जनपद-मथुरा का चहुँमुखी विकास हो सकेगा।

(ख) भूमि के अर्जन से सम्भावित लाभ मार्ग निर्माण के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। मार्ग निर्माण के संरेखण में प्रभावित कुल भूमि जिसको लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रय कर लिया गया है कि तुलना में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

4–इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं–

सारणी

जनपद	तहसील	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
मथुरा	सदर	बाद	98	0.016000
			2779	0.020800
			2780	0.009600
			2781	0.016000
			2759	0.001330

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
मथुरा	सदर	बाद	2697	0.001200
			588	0.000825
			607	0.000675
			608	0.001200
			612	0.000825
			योग . .	**0.068455**
		धनगांव	201अ	0.015990
			201ब	0.053232
			252/3	0.021000
			242	0.000800
			249अ	0.006857
			260	0.010260
			197	0.048000
			259	0.081600
			योग . .	**0.237739**
		नवीपुर	455	0.000500
			549	0.001467
			योग . .	**0.001967**
			कुल योग . .	**0.308161**

6–अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती है।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत सकता है।

8–अधिनियम की धारा–11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्षा कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा (भूमि अध्याप्ति अनुभाग) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

राकेश कुमार
कलेक्टर
भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ, मथुरा।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MATHURA
(Land Acquisition Section)

July 4, 2025

Notification of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

No 1765/S.L.A.O./J.O./Mathura/2025--Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector, Mathura is of the opinion that for the Brij Chaurasi Kos Parikrama Marg in District Mathura for public purpose through Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Mathura, land measuring 0.068455 hectare in Village-Baad, land area 0.237739 hectare in Village-Dhangaon and land area 0.001967 hectare in Village-Navipur, Tehsil-Sadar, District-Mathura accordingly total land area of 0.308161 hectare is required.

2. Social impact Assessment study has been carried out by the State Social impact Assessment Committee and its recommendation has been submitted to Collector, Mathura, which has been approved by Collector, Mathura on dated 04-06-2025.

3. In brief, the recommendations of the committee constituted regarding the Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan are as follows:-

(a) For the Brij Chaurasi Kos Parikrama Marg in district Mathura, the acquisition of land in revenue Village-Baad/area 0.068455 hectare, Dhangaon/area 0.237739 hectare and Navipur/area 0.001967 hectare accordingly total area of 0.308161 hectare is in public interest and it fulfills the public purpose and the objective of social benefit and social welfare. The construction of the said road will lead to all round development of Mathura district.

(b) The potential benefits of land acquisition are far more than the social costs and adverse social impacts of road construction. The land proposed for acquisition is very less in comparison to the total land affected in the alignment of road construction which has been purchased by the Public Works Department.

4. No family is being displaced due to land acquisition for this project.

5. There fore, the Governor is pleased to consent for notifying for general information the land mentioned in the following Schedule for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5
				Hectares
Mathura	Sadar	Bad	98	0.016000
			2779	0.020800
			2780	0.009600
			2781	0.016000
			2759	0.001330

1	2	3	4	5
				Hectares
Mathura	Sadar	Bad	2697	0.001200
			588	0.000825
			607	0.000675
			608	0.001200
			612	0.000825
			Total . .	**0.068455**
-	-	Dhangaon	201A	0.015990
			201 B	0.053232
			252 / 3	0.021000
			242	0.000800
			249 A	0.006857
			260	0.010260
			197	0.048000
			259	0.081600
-	-		**Total . .**	**0.237739**
		Navipur	455	0.000500
			549	0.001467
-	-	**Total**	**Total . .**	**0.001967**
			Grand Total . .	**0.308161**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps and conduct survey of land, leveling of any land, digging and do all the acts required for the proper execution of the work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person having interest in the land may submit an objection in writing to the Collector against the acquisition of land in his area within 60 (days) of the publication of the notification.

8. Under Section 11 (4) of the Act, no person, shall make or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acpuisition is completed, without prior approval of the Collector.

Note--The site map of the said land can be inspected in the office of the Distrct Magistrate, Mathura (Land Acquisition Section).

Rakesh Kumar,
Collector, Mathura.
(For the Purpose of Land Aquisition).

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

25 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 2018 / जी0-362ए / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील, नौतनवा परगना हवेली जनपद-महराजगंज के ग्राम चौतरवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2019 / जी0-159 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद जनपद-मुरादाबाद के ग्राम नकटपुरी खुर्द में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2020 / जी0-168 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज परगना सदर जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम बसुआपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2021 / जी0-33A / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-गढ़मुक्तेश्वर परगना पूठ जनपद-हापुड़ के ग्राम चितौडा महीउद्दीनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2022 / जी0-179 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-राबर्ट्सगंज परगना विजयगढ़ जनपद-सोनभद्र के ग्राम मगराही में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2023 / जी0-181 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-खजनी परगना धुरियापार जनपद-गोरखपुर के ग्राम जैती, तप्पा-बेलघाट में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2024/जी0-156/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-देवरिया परगना सिधुवा जोबना जनपद-देवरिया के ग्राम देवघाट, तप्पा-मलसी सरैनी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2025/जी0-181/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-गोला परगना चिल्लूपार जनपद-गोरखपुर के ग्राम तालभगना, तप्पा-सिकन्दरपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2026/जी0-61/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सम्भल जनपद-सम्भल के ग्राम सिसौना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—18 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 02 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 11, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(प्रशासन अनुभाग)

सूचना

दिनांक 11 जुलाई, 2025

सं0–1312/प्रशा0–एक–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,1965 की धारा–95 की उपधारा (1) के खण्ड़–(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अपने अधिकार सीमा में, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के लिपिकीय सेवा विनियम–1980 (यथासंशोधित) में बाई–सर्कुलेशन की प्रक्रिया के तहत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के लिपिकीय सेवा विनियम–1980 (यथासंशोधित) में बाई–सर्कुलेशन की प्रक्रिया के तहत भाग–एक सामान्य बिन्दु संख्या–13, भाग–4 अर्हताएं बिन्दु संख्या–7 आयु एवं बिन्दु संख्या–9 शैक्षिक अर्हताए का उप बिन्दु ख– आशुलिपिक में निम्नवत संशोधन किया जाता है।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
भाग–एक सामान्य	भाग–एक सामान्य
13–''भर्ती के वर्ष'' का तात्पर्य कलैन्डर वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले बारह महीनों की अवधि से है।	13–''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलैन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।
भाग–चार अर्हतायें	भाग–चार अर्हतायें
7– आयुः– (i) सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न होना आवश्यक है। किन्तु प्रतिबंध यह है कि {1} अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और यथा अधिसूचित ऐसी ही अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलें में उच्च आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी कि शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों में निर्दिष्ट की जाय। {2} परिषद के छटनी कर दिये गये Retirement कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। {3} नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी अथवा किसी अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में उच्च आयु सीमा को शिथिल कर सकता है, यदि वह इसे न्यायपूर्ण व्यवहार के हित में अथवा परिषद के हित में आवश्यक समझता हो।	7–आयुः – सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की होः परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
9- शैक्षिक अर्हतायेंः–	**9- शैक्षिक अर्हतायेंः–**
(ख) अशुलिपिक- (1) उसे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (2) उसे हिन्दी आशुलिपिक तथा टंकण का क्रमशः 100 तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से ज्ञान होना आवश्यक है।	**(ख) अशुलिपिक-** (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (2) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। (3) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठयक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो, या माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठयक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो।

3- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के लिपिकीय सेवा विनियम–1980 (यथासंशोधित) में बाई–सर्कुलेशन की प्रक्रिया के तहत भाग–एक सामान्य बिन्दु संख्या–13, भाग–4 अर्हतायें बिन्दु संख्या–7 आयु एवं बिन्दु संख्या–9 शैक्षिक अर्हतायें का उप बिन्दु ख– आशुलिपिक में उपरोक्त संशोधन के फलस्वरुप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

कार्यालय, नगर पंचायत फतेहाबाद, आगरा

दिनांक 03 मार्च, 2025

सं0 486/न0पं0फते0/2024–25–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1916) की धारा 128 की उपधारा (2) खण्ड (सात) और धारा 298 की उपधारा (2) के शीर्षक (ज) की उप शीर्षक (च) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत फतेहाबाद जनपद आगरा जिस उपविधि बनाने का प्रस्ताव करती है, उसका प्रारुप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 03 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया परन्तु प्रस्तावित उपविधि के सम्बन्ध में एक माह का समय व्यतीत होने के बाद कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुयी है।अतः उपविधि का प्रकाशन किया जा रहा है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं संचालन शुल्क उपविधि

संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ और आवृति

1. यह उपविधि नगर पंचायत फतेहाबाद ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं संचालन शुल्क उपविधि 2024 कही जायेगी।

2. यह नगर पंचायत फतेहाबाद (आगरा) की सीमा में लागू होगी।

3. यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

4. यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

परिभाषायें– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होने पर इस नियमावली में–

क– अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

ख– नगर पालिका से तात्पर्य नगर पंचायत फतेहाबाद (आगरा) से है।

ग– शुल्क का तात्पर्य पालिका में वर्णित मदों पर लगाये गये शुल्क से है।

घ– प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फतेहाबाद (आगरा) से है।

ड़– निरीक्षणकर्ता से तात्पर्य कर निरीक्षक या जिसको नगर पंचायत फतेहाबाद (आगरा) अधिकृत किया गया हो।

3. नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगर पंचायत फतेहाबाद की सीमा में रहते हुए प्रतिदिन/प्रतिघटना शुल्क के रूप में देना होगा।

4. नियमावली में दी गयी तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क दिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फतेहाबाद का होगा।

5. ठोस अपशिष्ट घटना की तिथि में देय होगा।

क्र0 सं0	कृत्य	नगर पालिका द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रू0
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500/– प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	550/– प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1500/– प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,500/– प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर	2,000/– प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट, पकोड़ी, फास्ट फूड आईसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	500/– प्रतिदिन
7	गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	500/– प्रतिदिन
8	निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पालिका की सड़क पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1,000/– प्रतिदिन
9	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	1,000/– प्रतिदिन
10	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में।	5,000/– प्रतिदिन
11	अपने मकान भवन का सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर।	500/– प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज
12	क्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	1,000/– प्रतिदिन
13	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	500/– प्रतिदिन
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवारों की हड्डियाँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	1,000/– प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	500/– प्रतिदिन
16	शादी/विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर	2,000/– प्रतिदिन
17	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस–मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	1,000/– प्रतिदिन

1	2	3
		रू0
18	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	500/– प्रतिदिन
19	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	500/– प्रतिदिन
20	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	500/– प्रतिदिन
21	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1,500/– प्रतिदिन
22	सड़क के किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में।	1,000/– प्रतिदिन
23	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलोजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ठ को नगरीय ठोस अपशिष्ठ में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर।	2,000/– प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज
24	खुले में शौच करने पर।	500/– प्रति घटना
25	व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन न रखने पर।	100/– प्रति घटना
26	पान मसाला/गुटखा इत्यादि की पीक सडक, पटरी, दीवार व सरकारी भवन में थूकने व धुम्रपान करने पर।	पहली बार पाये जाने पर 100/– दोबारा पाए जाने पर 500/–
27	नाली में कूड़ा/कचरा इत्यादि डालकर नाली अवरूद्ध करने पर।	200/– प्रति घटना
28	घरेलू (तेजाब,हारपिक सेनेटरी पैड इत्यादि) तथा विनाशकारी इलैक्ट्रोनिक कचरा खुले में डालनें पर।	200/– प्रति घटना
29	खाली प्लॉट में सॉलिड वेस्ट (कचरा,गोबर इत्यादि) फेंकनें पर।	1000/– प्रति घटना
30	बल्क वेस्ट उत्पादक द्वारा अपने परिक्षेत्र में कचरा फैलानें/इधर-उधर फेंकनें तथा आग लगानें इत्यादि पर।	3000/– प्रति घटना
31	मकान की तोड–फोड/पुनः निर्माण/नवनिर्माण से उत्पन्न कचरें को खाली प्लॉट/सरकारी भूमि तथा इधर–उधर फेंकनें पर।	1000/– प्रतिदिन
32	गीले एंव सूखे कूडें को पृथक–पृथक न देनें पर।	100/– प्रतिदिन घरेलू 1000/– प्रति घटना (मैरिज होम, वैवाहिक स्थल, प्रति हॉल इत्यादि) 500/– प्रति घटना (व्यवसायिक स्थल)

उपरोक्त कैरिंग चार्ज/शमन शुल्क प्रथम बार उल्घंघन करने पर आरोपित किया जायेगा। घटना की पुनारावृत्ति करने पर 2 से 3 गुना वसूल किया जायेगा।

बबीता शल्या,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत फतेहाबाद, आगरा।

कार्यालय, नगर पंचायत फतेहाबाद, आगरा

गृहकर नामांन्तरण उपविधि 2024

दिनांक 03 मार्च, 2025

सं0 487/न0पं0फते0/2024–25–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1916) की धारा 128 की उपधारा (2) खण्ड (सात) और धारा 298 की उपधारा (2) के शीर्षक (ज) की उप शीर्षक (च) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत फतेहाबाद जनपद आगरा जिस उपविधि बनाने का प्रस्ताव करती है, उसका प्रारुप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 01 मार्च 2024 को प्रकाशित किया गया परन्तु प्रस्तावित उपविधि के सम्बन्ध में एक माह का समय व्यतीत होने के बाद कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुयी है। अतः उपविधि का प्रकाशन किया जा रहा है।

संक्षिप्त शीर्ष नाम

1. संक्षिप्त नाम – यह उपविधि नगर पंचायत फतेहाबाद गृहकर नामांन्तरण उपविधि 2024 कहलायेगी।

2. उपविधि का प्रारम्भ– यह उपविधि गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

3. परिभाषायें – 1. विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल न होन पर इस उपविधि में (क) अधिनियम् का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका परिषद अधिनियम् 1916 (संयुक्त प्राप्त अधि0सं0.2 सन् 1916) से है।

(ख) गृहकर सर्वेक्षण सूची का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका परिषद अधिनियम् 1916 की धारा 144 के अधीन कर निर्धारण सूची से है।

(ग) कर निर्धारण सूची में दी कोई प्रविष्टि का तात्पर्य सूची में निदिष्ट कर ,अवधि, भूमि या भवन स्वामित्व तथा तत्सम्बन्धी वार्षिक मूल्य से है।

(घ) कर सूची नियंत्रण का तात्पर्य वर्णित अधिनियम् की धारा 147 के 1 से 4 अन्तर्गत सूची में संसोधन और परिवर्तन करने से है।

(च) नगर पालिका का तात्पर्य नगर पंचायत फतेहाबाद से है।

(छ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य फतेहाबाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

(ज)शुल्क का तात्पर्य ऐसे फीस/प्रभार्य से है जो धारा 294 में वर्णित है।

2. ऐसे शब्दों और पदों के जो इस उपविधि में परिभाषित नही है, किन्तु उपविधि में प्रयुक्त है वही अर्थ होगें, जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये है।

3. उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम् 1916 की धारा 147 के अन्तर्गत।

उपविधि

(1) नगर पंचायत किसी भी समय कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन या संसोधन कर सकती है। या (क) कर निर्धारण सूची में ऐसी सम्पत्ति का जो कर निर्धारण सूची अधिप्रमाणीकृत होने के पश्चात कराधान के लिए दायी हो गई है प्रवष्टि करके, या

(ख) कर निर्धारण सूची में किसी ऐसे सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम जिसमें अंतरण द्वारा अन्य प्रकार से सम्पत्ति का स्वामित्व या अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त किया जो प्रतिस्थापित करके या

(ग) किसी सम्पत्ति के जिसका मुल्यांकन या कर निर्धारण कपट, मिथ्या, व्ययदेशन या त्रुटि के कारण हो गया है पर पुनः निर्धारण में वृद्धि करके, या

(घ) किसी सम्पत्ति का जिसका मूल्य भवन में किये गये परिवर्धन या परिवर्तन के कारण घट गया हो

(ड) वार्षिक मूल्य का जिस पर कोई कर उग्रहित किया जाना हो, प्रतिशत द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो वहॉ प्रत्येक मामले में देयकर की धनराशि में तद्रूप परिवर्तित करके।

(च) स्वामी के आवेदन-पत्र देने पर या ऐसे सन्तोषप्रद साक्ष्य पर कि सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य अथवा कर में कमी करने की अवश्यकता सिद्ध कर दी गई है, स्वप्रेरण से किसी भवन के जो पूर्णतः,या अंशतः तोड़ दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो मूल्यांकन में कमी करके,या

(छ) किसी लिपिकीय गणना सम्बन्धी या अन्य प्रत्यक्ष मूल को ठीक करके,या

2. उपविधि के स्तर 3(1) के खण्ड(क) से (छ) तक तथा 2 में दी गई शर्तो के अधीन कर निर्धारण सूची में को संसोधन या परिवर्तन हितवृद्ध व्यक्ति को बिना सूचना दिये नही किया जायेगा। सूचना की अवधि एक माह होगी तथा सूचना का सार्वजनिक प्रकाशन कराया जायेगा।

3. संसोधन/परिवर्तन की कोई नोटिस दिये जाने के पश्चात हितवृद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपत्ति या आवेदन पत्र नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजनार्थ रखी गयी पुस्तिका में पंजीकृत किया जायेगा। तदोपरान्त जॉचोपरान्त कार्यालय आख्या पर अधिकृत समिति द्वारा इस अपत्तिकर्ता/आवेदक को स्वयं अथवा उनके अभिकर्ता को युक्तायुक्त अवसर प्रदान कर सुनवाई कर निस्तारण कर परिणाम को कर निर्धारण सूची में प्रविष्ट किया जायेगा। और आवश्यक संसोधन/परिवर्तन करके धारा 144 के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

4. प्रस्तर 2 (ख) के अन्तर्गत को हितवृद्ध व्यक्ति का स्वामित्व अंतरण द्वारा प्राप्त किया गया है हितवृद्ध व्यक्ति कर निर्धारण सूची में उक्त सम्पत्ति स्वामित्व में अपना नाम की प्रवष्टि हेतु आवेदन-पत्र साथ पंजीकृत बैनामा की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगा। दाखिल-खारिज के आवेदन-पत्र के साथ धारा 294 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क जमा करेगा तदोपरान्त प्रस्तर 4 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

5. नगर सीमा के भीतर सम्पत्ति अंतरण हेतु पंजीकृत बैनामा होने के 30 दिन के भीतर नगर पालिका को सूचना देना हितवद्ध व्यक्ति का उत्तर दायित्व होगा। चूक करने पर विलम्ब शुल्क देय होगा।

6. स्वीकृत बैनामा के स्टाम्प कमी का उत्तरदायी क्रेता स्वयं होगा, जिसके लिये घोषणा-पत्र दाखिल होगा।

7. (1) किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपरान्त उसके वारिसों द्वारा मृतक के स्थान पर स्वामित्व में अपने नाम की प्रवष्टि हेतु आवेदन-पत्र के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वारिस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। जॉचोपरान्त प्रस्तर 4 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये निर्धारित शुल्क जमा करेगा। (2) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वारिस प्रमाण-पत्र के आधार पर भी नाम प्रवष्टि की कार्यवाही प्रस्तर 4 के अन्तर्गत, शुल्क जमा करने पर की जायेगी।

क्र0 सं0	देय प्रभार्य	मूल्य	शुल्क	बिलम्ब शुल्क प्रतिमाह
		रु0	रु0	रु0
	पंजीकृत लेख (बैनामर) स्वामित्व प्रतिस्थापित करने पर	(1)1,00,000 से 2,00,000 तक	2,000.00	10.00 प्रतिमाह
		(2) 2,00,001 से 5,00,000 तक	3,000.00	10.00 प्रतिमाह
		(3) 5,00,001 से 10,00,000 तक	5,000.00	10.00 प्रतिमाह
		(4) 10,00,001 से 20,00,000 तक	7,000.00	10.00 प्रतिमाह
		(5) 20,00,001 से 30,00,000 तक	8,000.00	10.00 प्रतिमाह
		(6) 30,00,001 से 40,00,000 तक	9,000.00	
		(7) 40,00,001 से 50,00,000 तक	10,000.00	
		(8) 5000001 से ऊपर	11000.00	
	प्रस्तर 10 (1) के अन्तर्गत वारिसों का स्वामित्व प्रतिस्थापित करने पर	प्रतिवर्ष देय गृहकर का दो गुना		
	प्रस्तर 10 (2) के अन्तर्गत वारिसों का स्वामित्व प्रतिस्थापित करने पर	प्रतिवर्ष देय गृहकर की धनराशि के सम्तुल्य		
	भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क	आवासीय रू0 2,000, अनावासीय रू0 5,000		
	भवन निर्माण मलवा संचयन (एन0ओ0सी0 शुल्क के अतिरिक्त)	रू0 40 प्रति वर्गमीटर		
	भवन एवं सम्पत्ति नामान्तरण शुल्क (आपत्ति/अनापत्ति विज्ञापन शुल्क अतिरिक्त)	रू0 1,000 प्रति नामान्तरण		

8. किसी सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की स्थिति में सम्बन्धित पक्ष न्यायालय से निस्तारण करायेगा,जिसकी सूचना/हितवृद्ध पक्ष को लिखित दी जायेगी।

अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत फतेहाबाद जनपद आगरा एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपवन्ध का उल्लंघन करने पर जुर्माना जो रू0 1,000.00 तक हो सकता है और निरंतर उल्लंघन की दशा में जुर्माने से जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है। रू0 50/– प्रतिदिन तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा।

बबीता शल्या,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत फतेहाबाद, आगरा।

कार्यालय, नगर पंचायत फतेहाबाद, आगरा

भवन निर्माण (मानचित्र) उपविधि-2025

दिनांक 03 मार्च, 2025

सं0 488 / न0पं0फते0 / 2024–25–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1916) की धारा 128 की उपधारा (2) खण्ड (सात) और धारा 298 की उपधारा (2) के शीर्षक (ज) की उप शीर्षक (च) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत फतेहाबाद जनपद आगरा जिस उपविधि बनाने का प्रस्ताव करती है, उसका प्रारुप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमत्रिंत करने की दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला में दिनांक 01 मार्च 2024 को प्रकाशित किया गया परन्तु प्रस्तावित उपविधि के सम्बन्ध में एक माह का समय व्यतीत होने के बाद कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुयी है। अतः उपविधि का प्रकाशन किया जा रहा है।

1– संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ–1

संक्षिप्त नाम प्रसाद और प्रारम्भ–(1) यह उपविधि फतेहाबाद नगर पंचायत सीमान्तर्गत भवनों के निर्माण को नियंत्रण उपविधि 2024 कहलायेगी।

2. यह पंचायत सीमा में प्रवृत्त होगी।

3. यह उपविधि गजट में प्रकाशित दिनाँक से प्रवृत्त होगा।

2– परिभाषायें – विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में।

1. नगर पालिका – का तात्पर्य नगर पंचायत फतेहाबाद से है।

2. सीमा– नगर पंचायत की वह सीमायें जो शासन से स्वीकृत हो या हो।

3. बोर्ड– बोर्ड का तात्पर्य निर्वाचित नगर पंचायत फतेहाबाद से है।

4. अध्यक्ष – नगर पंचायत फतेहाबाद के अध्यक्ष से है।

5. अधिशासी अधिकारी – का तात्पर्य नगर पंचायत फतेहाबाद के अधिशासी अधिकारी से है।

6. अवर अभियंता– से तात्पर्य नगर पंचायत फतेहाबाद के अवर अभियंता से है।

7. रेवेन्यू इन्सपेक्टर का तत्पर्य नगर पंचायत के रेवेन्यू इस्पेक्टर से है।

8. भवन– का तात्पर्य वह स्थान जो कि चारों ओर या किसी साइड से घिरा हुआ है।

व्यापारिक भवन– जिस भवन में किसी भी प्रकार का व्यवसाय होता है।

रिहायशी भवन – जिस भवन में कोई परिवार रहता हो या परिवार के रहने योग्य हो।

समाजिक भवन जो सार्वजनिक कार्य के लिए प्रयोग होता हो।

रिहायशी भवन– जो किसी भी सरकारी कार्यालय के रूप में अस्पताल, विश्राम गृह, स्कूल, पुस्तकालय, (वाचनालय) या अन्य किसी शासकीय प्रयोग में आता होग।

हॉल– भवन के अन्दर या बाहर वह कमरा जो सामूहिक प्रयोग के लिए बनाया गया हो, जिसकी लम्बाई चौड़ाई 5x5 मीटर से कम न हो।

कमरा– भवन का वह कमरा होगा जो सोने, बैंठने व अन्य किसी प्रकार के कार्यो में प्रयोग होता हो, जिसका नाप कम से कम 4x3 मीटर होगा।

1. यह कि नगर पंचायत फतेहाबाद की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत को बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भवन निर्माण नहीं करेगा। न अहाता गैरेंज या अन्य किसी प्रकार के भवन का रूप देगा।

2. नगर पंचायत फतेहाबाद से स्वीकृत हेतु निम्न प्रकार प्रक्रिया अपनानी होगी।

(क) भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु नगर पंचायत फतेहाबाद में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेंगा।

(ब) इस प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी को दो स्केली मानचित्र में मय सीमा के प्रस्तुत करने होगें इन मानचित्रों में भूमि का पूर्ण विवरण दिया जायेगा तथा यह भी दर्शाया जायेगा कि बनाने से पूर्व भूमि को क्या दक्षांत और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

(स) प्रार्थी इस मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहाद्द निर्माण कार्य करना चाहता है। उसकी अपनी है और उस पर कोई विवाद नही है। उसका पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

(द) प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुये यह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेरबदल या पूर्ण नवनिर्माण अथवा ऊपरी भाग का पूर्ण नव निर्माण करना चाहता है।

(क) नगर पंचाायत फतेहाबाद में पंजीकृत ड्राफ्टमैन से नक्शा बनवायेगा नक्शे पर ड्राफ्टमैन के हस्ताक्षर जिसमें पूरा नाम डिग्री एवं पंजीकरण नम्बर अंकित होना चाहिए ड्राफ्टमैन द्वारा उस भवन का अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

(ख) नक्शे ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिंट होगा और एक तीसरा नक्शा जो नगर पालिका में रखा जायेगा वह ट्रेसिंग पेपर पर होगा।

3– कोई भी भवन निर्माण भू-स्वामी द्वारा अपनी भूमि में से सामने की तरफ (फ्रंट साइड) कम से कम 05 फुट भूमि को छोड़कर किया जायेगा।

4– भवन निर्माण (अ) प्रत्येक भवन का निर्माण करते समय यह विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भवन में आंगन या वाटिका के लिए कुल क्षेत्रफल की 1/5 भाग भूमि खाली छोड़ी जाये।

(ब) भवन में इस प्रकार के जंगले या बेन्टीलेटर लगवाना अनिवार्य होगा, जिससे धूप तथा हवा का आवागमन हो सके।

(स) इस प्रकार का कोई जंगला या खिड़की न लगाया जायेगा, जिससे कि बराबर में रहने वाले की बेपेर्दगी हो।

(द) छत का पानी नीचे तक पाइप द्वारा ही उतारा जावेगा तथा उसकी नाली सरकारी नाली में स्वयं अपने व्यय से मिलानी होगी यदि वहॉ पर सरकारी नाली नही है, तो प्रार्थी को उसके लिए एक सोकपिट अपनी ही भूमि पर निर्माण कराना होगा।

(त) दो मंजिले पर इस प्रकार का कोई शौचालय नही बनवाया जायेगा, जिसका मल-मूत्र पाइप के द्वारा मकान से बाहर होकर नीचे उतरता हो या सड़क पर गंदगी फैलाता हो।

(थ) सरकारी नाली या सड़क के ऊपर जो प्रोजेयशन निकाला जायेगा उस पर अन्य किसी प्रकार का निर्माण नही किया जायेगा तथा नीचें का लैंटर नाली के किनारे तक और ऊपर का नीचे के प्रोजेक्शन से एक फीट से अधिक नहीं निकाला जायेगा, सड़क पर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्शन नहीं किया जायेगा।

(द) भवन का परनाला सरकारी सड़क पर गली में किसी भी हालत में नहीं डाला जायेगा, जब तक कि उसके पानी की सरकारी नाली पर पहुँचाने की पूर्ण व्यवस्था न कर दी गई हो।

स्वीकृति की विधि

5– जब प्रार्थी मय नक्शों के अपना प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, सर्वप्रथम उसका इंन्द्रज निर्माण रजिस्टर में किया जायेगा तथा उस प्रार्थना-पत्र पर वित्त विभाग की रिपोर्ट ली जायेगी जो रेवेन्यू इन्सेपेक्टर इस प्रकार की रिपोर्ट देगा कि इस भूमि या भवन का स्वामी हमारे रिकार्ड से वहीं इंन्द्राज है जो प्रार्थना-पत्र दे रहा है तथा इस मकान पर भवन कर नगर पालिका का कोई किसी का टैक्स आदि अवशेष नहीं है।

6– कार्यालय की रिपोर्ट के पश्चात् यह प्रार्थना-पत्र मय नक्शे के अवर अभियंता को जाँच हेतु भेज दिया जायेगा जो कि मौके पर जाकर भूमि तथा प्लान का मिलान करेगें और अपनी रिपोर्ट सही पाये जाने पर इस प्रकार देगें। नक्शे के मुताबिक नियमानुसार निर्माण उचित है, चौक तथा वाटिका ठीक प्रकार से सुरक्षित छोड़ दी गयी है। रसोई तथा शौचालय की व्यवस्था सही है। स्वास्थ्य के लिहाज से गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है और इस निर्माण के आज्ञा देने में नगर पालिका को किसी प्रकार की संम्पत्ति की हानि नहीं है।

7– इसके पश्चात् प्रार्थी को यह अवगत कराया जायेगा कि यह नियमानुसार निर्माण फीस जमा करवा दें, निर्माण फीस जमा हो जाने के पश्चात् अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। दो नक्शे के साथ स्वीकृति पत्र (सशर्त) अधिशासी अधिकारी के माध्यम से प्रार्थी को भेज दिया जायेगा, इस आज्ञा के पश्चात् ही प्रार्थी निर्माण कार्य आरम्भ कर सकता है। निर्माण कार्य आरम्भ करने से 24 घण्टे पूर्व नगर पालिका कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

8– यह आज्ञा केवल एक वर्ष के लिए होगी, यदि इस निश्चित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है, तो प्रार्थी कारण स्पष्ट करते हुये पुनः नगर पालिका में अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा तथा प्रार्थना-पत्र के साथ पूर्व अनुमति नक्शा व स्वीकृति-पत्र प्रस्तुत करेगा और जो पूर्व फीस जमा की है, उसका 1/2 हिस्सा पुनः फीस के रूप में जमा करानी होगी, यह अवधि एक बार में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ सकेगी।

9– जैसे ही भवन का निर्माण कार्य समाप्त होगा वैसे ही प्रार्थी नगर पालिका को अवगत करायेगा, नगर पालिका द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा, इसके बाद ही वह भवन रहने योग्य माना जायेगा।

क्र0 सं0	भवन का प्रकार	दरें भवन निमार्ण
		रु0
1.	रिहायशी भवन	30/–प्रति वर्ग मीटर
2.	व्यवसायिक	45/–प्रति वर्ग मीटर
3.	टीन शैड	20/–प्रति वर्ग मीटर
4.	बाउन्ड्रीवाल	500/–
5.	मलवा शुल्क	200/–प्रतिमाह

यदि कोई सामाजिक या धार्मिक संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसकी फीस की दरें उपरोक्त दरों की 1/2 होगी, खाली प्लाट की यदि बाउन्ड्रीवाल ही बनानी है, तो उसके लिए मात्र रु0 500/– फीस देय होगी।

10– प्रार्थी यदि नक्शा स्वीकृत हो जाने के बाद कोई परिवर्तन करता है तो पुनः दूसरा नक्शा तथा पहला स्वीकृत नक्शा जिस पर उसे आज्ञा प्राप्त हो चुकी है प्रस्तुत करेगा तथा उपरोक्त अंकित फीस का 1/2 भाग जमा करायेगा।

11– मंजिलों की संख्या किसी भी दशा में 04 से अधिक न होगी।

12– मरम्मत जिसमें केवल प्लास्टर आदि या छत आदि के लिए सादा कागज पर प्रार्थना-पत्र देगा यदि प्रार्थी पुरानी बुनियादों पर भी क्षतिग्रस्त होने के कारण छत बदलवाना चाहता है यदि नीचें की मंजिल बनी है प्रार्थी दूसरी मंजिल बनाना चाहता है तो उसके लिए उपविधियों में वर्णित पूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी।

13– कोई भी मस्जिद, मंदिर, चर्च या अन्य दूसरी पवित्र धार्मिक इमारते उस समय तक नयी बनायी जा सकती है, जब तक कि उसके आगे का भाग सड़क के बीचों-बीच से 50 फुट पर न हो और जब तक कि यह 200 फुट के फॉसले पर पहले से बने धार्मिक स्थानों से चाहे वह किसी भीं सम्प्रदाय का क्यों न हो।

14– नगर पंचायत फतेहाबाद की स्वीकृति के उपरान्त ही प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कालोनियां बनायी जा सकेगें। प्रस्तावित ऐसी कालोनियों में समस्त मूलभूत सुविधाऐं सड़क, जलनिकासी, सीवर आदि स्वयं प्रोपर्टी डीलर को करनी होगी, ऐसी कालोनियों में एक तिहायी भाग हरित बैल्ट के रूप में विकसित करना होगा।

15– किसी सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की स्थिति में सम्बन्धित पक्ष न्यायालय से निस्तारण करायेगा, जिसकी सूचना समस्त /हितवृद्ध पक्ष को लिखित दी जायेगी।

शास्ति

अधिनियम् की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत फतेहाबाद जनपद आगरा एतद्द्वारा यह निर्देश देती है, कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर जुर्माना जो रू0 1,000.00 तक हो सकता है, और निरंतर उल्लंघन की दशा में जुर्माने से जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनाँक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा हो। रू0 50 प्रतिदिन तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा।

बबीता शल्या,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत फतेहाबाद,
आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम संजय गोंड पुत्र गुलाबचंद गोंड है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7656 9173 6458 में मेरा नाम संजय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम संजय गोंड पुत्र गुलाबचंद गोंड के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संजय गोंड,
पता–टडवां सर्फुददीन पट्टी,
पो0 व थाना जीयनपुर,
जिला आजमगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विघान गौतम पुत्र राम महेश है जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7265 8440 4133 में उसका नाम आयान गौतम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विधान गौतम पुत्र राम महेश के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आशा देवी पत्नी राम महेश,
मोहल्ला पुराना डाकखाना,
पोस्ट गाँधीनगर जिला–बस्ती, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सत्य प्रकाश सिंह पुत्र राम कृपाल सिंह है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है लिपिकीय त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में कहीं पर मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह तथा कहीं पर सत्य प्रकाश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सत्य प्रकाश सिंह पुत्र राम कृपाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सत्य प्रकाश सिंह,
पुत्र राम कृपाल सिंह,
भगवत्पुर मोड, बमरौली,
उपरहार, बमरौली प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम उजाला पुत्री गुलाम हुसैन है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है । त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5910 8051 4812 में उसका नाम जारा जमाल अंकित हो गया है। जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम उजाला पुत्री गुलाम हुसैन के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गुलाम हुसैन,
ग्राम बालीपुर, पो0–ज्ञानपुर,
तहसील–ज्ञानपुर जिला भदोही।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदर्श यादव पुत्र अनूप कुमार यादव है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9286 1557 7790 में उसका नाम सुर्य प्रताप यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदर्श यादव पुत्र अनूप कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनूप कुमार यादव,
पुत्र रामश्रृगांर यादव,
निवासी–विराहिमपुर पोस्ट धीरपुर,
गोपीगंज जिला भदोही।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अदिती सिंह पुत्री सुजीत कुमार सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–4618 3635 3980 में उसका नाम स्नेहा सिह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अदिती सिंह पुत्री सुजीत कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुजीत कुमार सिंह,
पता– शाहपुर चौसा,
पोस्ट–रायपुर पोख्ता,
जिला–मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आराध्य प्रताप सिंह पुत्र आलोक कुमार सिंह है, जो पुत्र के शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड में अंकित है। मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य समस्याओं के निदान हेतु अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार पुत्र का नाम आराध्य प्रताप सिंह से बदलकर अभिराज प्रताप सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अभिराज प्रताप सिंह पुत्र आलोक कुमार सिंह के नाम से समस्त अभिलेखों में लिखा एवं जाना व पहचाना जाए।

आलोक कुमार सिंह,
ग्राम–शिवराजपुर, पोस्ट–गडवारा,
जनपद प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ज्ञानेन्द्र कुमार अग्रवाल (GYANENDRA KUMAR AGARWAL) पुत्र स्व0 राम कृष्ण अग्रवाल जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इक्विटी शेयर (Reliance Industries Limited Equity Shares) में Folio No-034356190 में मेरा नाम GYANDENDRA KUMARAL अंकित हो गया है जो कि गलत है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ज्ञानेन्द्र कुमार अग्रवाल (GYANENDRA KUMAR AGARWAL) पुत्र स्व0 राम कृष्ण अग्रवाल (RAM KRISHNA AGARWAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ज्ञानेन्द्र कुमार अग्रवाल,
190 लूकरगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स एन0जे0एसोसिएटस ए–91 सिटी पार्क लोधीपुर शाहजॉपुर–242001 की साझीदारीनामा दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के अनुसार निशा शर्मा, जेसिका गुप्ता, राम चन्द्र सिंघल एवं श्रीमती उमा सिंघल साझीदार थे। दिनांक 15 जुलाई, 2025 को निशा शर्मा एवं जेसिका गुप्ता अपना हिसाब–किताब ले–देकर अलग हो गयी है।

संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 16 जुलाई, 2025 के अनुसार वर्तमान में अब केवल श्री रामचन्द्र सिंघल एवं श्रीमती उमा सिंघल साझीदार है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राम चन्द्र सिंघल,
साझीदार,
मेसर्स एन0जे0एसोसिएटस
गांधीगंज, शाहजहॉपुर–2402001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 महाबीर प्रसाद पता–ग्राम व पोस्ट म्योरपुर सोनभद्र उक्त फर्म में कन्हैया लाल पुत्र स्व0 महाबीर प्रसाद एवं मधुदेवी पुत्री जुगल केशरी पार्टनर है। दिनांक 21 जून, 2024 को फर्म में कन्हैया लाल पुत्र स्व0 महाबीर प्रसाद के स्थान पर शिवम केशरी पुत्र कन्हैया लाल फर्म में पार्टनर के रूप में जुड़ रहे है। फर्म का कार्य यथावत चलता रहेगा।

मधुदेवी,
साझेदार,
मे0 महाबीर प्रसाद,
ग्राम व पोस्ट, म्योरपुर सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 तपेश्वरी गैस एजेन्सी रोलेन्ड टावर (दि माल) कानपुर दिनांक 06 जून, 2002 को प्रारम्भ की गयी थी। फर्म में श्री अचल कपूर पुत्र स्व0 अमर नाथ कपूर, निवासी–3–ए/46, आजाद नगर, कानपुर एवं श्रीमती रीता कपूर पत्नी श्री अचल कपूर निवासी–3–ए/46, आजाद नगर, कानपुर साझीदार थे। वर्तमान में रीता कपूर दिनांक 05 जून, 2025 से फर्म से रिटायर हो गयी है तथा श्री अनुज कपूर पुत्र श्री अचल कपूर निवासी 3–ए/46, आजाद नगर, कानपुर नगर दिनांक 05 जून, 2025 को फर्म में सम्मिलित हुए है।

अचल कपूर,
साझेदार,
मे0 तपेश्वरी गैस एजेन्सी,
रोलेन्ड टावर (दि माल) कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Sidh Nath Ram Gopal, Bhauti Pratappur, Kalpi Road, Kanpur की साझेदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 10 जुलाई, 2020 को पंजीकरण सं0–KAP/0006751 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 को साझीदारी में श्री श्रेयांश मिश्रा को शामिल किया गया है तथा पूर्व साझीदार श्री राजीव मिश्रा (श्रेयांश मिश्रा के पिता) का दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को स्वर्गवास हो गया है। फर्म में अब श्री राम गोपाल मिश्रा व श्री श्रेयांश मिश्रा साझीदार है।

राम गोपाल मिश्रा,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम इफ्तिखार अहमद पुत्र इकबाल अहमद है। जो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस एवं निर्वाचन कार्ड में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–5833 5077 5231 में मेरा नाम धुल्लू अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम इफ्तिखार अहमद पुत्र इकबाल अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

इफ्तिखार अहमद,
पुत्र इकबाल अहमद,
निवासी–374/345 बाजपेई नगर,
शिवांस टेनराय कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम समृद्धि त्रिपाठी (Samradhi Tripathi) पुत्री सुनील त्रिपाठी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0–8773 2817 1581 में उसका नाम अंशिका त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम समृद्धि त्रिपाठी (Samradhi Tripathi) पुत्री सुनील त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनील त्रिपाठी,
पुत्र शिवसनातन त्रिपाठी,
नि0–ग्राम अनेंगबेहटा, पो0 कोर्रिया,
तहसील सदर जिला हरदोई, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सोमलता पुत्री रामतीर्थ शुक्ल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9976 6315 4738 में मेरा नाम केला देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सोमलता पुत्री रामतीर्थ शुक्ल पत्नी अनिल कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सोमलता,
पता––1026 ग्राम मनकापुर,
पोस्ट कुम्हियावां, तहसील मंझनपुर,
जनपद कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिद्धार्थ सिंह पुत्र बालकरन है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9297 2333 0583 में मेरा नाम चन्दन पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सिद्धार्थ सिंह पुत्र बालकरन के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सिद्धार्थ सिंह, पुत्र बालकरन,
निवासी–बैराहना, अहमदपुर,
पावन, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शहनाज बानों पुत्री अनवर खान है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है मैने अपना नाम शाहनाज बानो से बदलकर संजना सिंह पुत्री अनवर खान रख लिया है। मुझे मेरे परिवर्तित नाम संजना सिंह पुत्री अनवर खान के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शहनाज बानो,
पुत्री अनवर खान,
निवासी–बीड़ी कारखने के पास आजादपुरा,
तहसील व जिला ललितपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम किशन शुक्ल पुत्र आशीष शुक्ल हैं जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–5260 3064 3080 में मेरा नाम विनीत कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम किशन शुक्ल पुत्र आशीष शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनीत कुमार,
पुत्र आशीष कुमार शुक्ल,
निवासी–पुरे बहुरिया, धीरपुर, ज्ञानपुर,
संत रविदास नगर, ज्ञानपुर भदोही उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आकाश वर्मा पुत्र विनोद कुमार वर्मा है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–4531 3537 7551 में उसका नाम अर्ब वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आकाश वर्मा पुत्र विनोद कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद कुमार वर्मा, पुत्र राम सूरत वर्मा,
निवासी–टूटेपुरवा गनवरिया, पो0 लालपुर,
बिशुनपुर, जनपद बलरामपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रबुद्व गौरव पुत्र अवधराज है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5370 9727 2071 में उसका नाम प्रिन्स अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रबुद्व गौरव पुत्र अवधराज के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अवधराज पुत्र स्व0 मोहितराम,
पता– ग्राम हड़डी, पो0 सोनिकपुर,
तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अविका सिंह पुत्री यतीन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–7035 0076 6473 में उसका नाम मायरा यादव (MYRAH YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अविका सिंह पुत्री यतीन्द्र कुमार के नाम से ही जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

यतीन्द्र कुमार,
पता–43ए, फ्रेंड्स कॉलोनी, इटावा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अर्चना पुत्री अशोक कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–4190 7182 6571 में उसका नाम अर्पिता अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अर्चना पुत्री अशोक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अशोक कुमार, पुत्री रामहरी,
शरीफपुर शीकी खुर्द हंडिया,
प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चौबे प्रतिमा अरूण (CHAUBEY PRATIMA ARUN) पुत्री अरूण कुमार चौबे (ARUN KUMAR CHAUBEY) है जो शैक्षणिक अभिलेखों में दर्ज है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0– 8614 8272 0779 में मेरा नाम प्रतिमा अरूण चौबे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चौबे प्रतिमा अरूण (CHAUBEY PRATIMA ARUN) पुत्री अरूण कुमार चौबे (ARUN KUMAR CHAUBEY) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

चौबे प्रतिमा अरूण,
(CHAUBEY PRATIMA ARUN),
पुत्री अरूण कुमार चौबे,
(ARUN KUMAR CHAUBEY)
निवासिनी–शिवपूरवां छितुपुर,
जनपद–वाराणसी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हिन्दुस्तान राइस मिल, मौ० माजुल्लानगर नियर ईदगाह केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) नामक फर्म की पार्टनरशिप डीड दिनॉक 27 नवम्बर, 2017 को बनायी गयी, जिसका पंजीकरण पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत पंजीकरण सं० RAM/0016022 पर दिनाँक 26 अगस्त, 2023 को कराया गया। फर्म पंजीकरण के समय 1- श्री मौ० सिददीक, 2- श्री सलीम अहमद, 3- श्री मौहम्मद नसीम व 4- श्री मौहम्मद जहीर पार्टनर्स थे। दिनांक 04 फरवरी, 2025 को श्री मौहम्मद सिद्दीक की मृत्यु हो गयी और शेष पार्टनर के साथ दिनाँक 07 फरवरी, 2025 को फर्म पुर्नगठित की गयी। वर्तमान में उक्त फर्म में 1-श्री सलीम अहमद, 2-श्री मौहम्मद नसीम व 3-श्री मौहम्मद जहीर साझीदार है।

सलीम अहमद
पार्टनर
हिन्दुस्तान राइस मिल मौ० माजुल्लानगर,
नियर ईदगाह केमरी बिलासपुर,
जिला रामपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अयमन फारूक (AYEMAN FARUK) पुत्री फारूक अहमद है जो उनके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–8329 6757 5263 में उसका नाम राकिया बानो अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अयमन फारूक (AYEMAN FARUK) पुत्री फारूक अहमद (FARUK AHMAD) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

फारूक अहमद,
नि0–ग्रा0 महुआर कादीपुर,
जिला प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वैष्णवी कुमारी पुत्री राम नरेश चौधरी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–9259 7477 4032 में उसका नाम शिवानी झा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वैष्णवी कुमारी पुत्री राम नरेश चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राम नरेश चौधरी,
पता–महर्षि विश्व विज्ञान विद्यापीठ,
एस0बी0एस0सी0टी0 अरैल नैनी,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सोनापति यादव पत्नी बब्लू यादव है जो मेरे पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, ई–श्रम कार्ड, बैंक पासबुक और गैस कापी व उप जिलाधिकारी महोदय के जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–4941 2310 3300 में मेरा नाम साधना तिवारी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सोनापति यादव पत्नी बब्लू यादव के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सोनापति यादव पत्नी बब्लू यादव,
ग्राम, गौरी का पुरवा,
पो0 रायगढ़, तह0 कुण्डा,
जनपद प्रतापगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुराधा कुमारी पुत्री रमेश चन्द्र जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7240 1455 8635 में मेरा नाम राधा हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे

सही नाम अनुराधा कुमारी पुत्री रमेश चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुराधा कुमारी,
पता– ग्राम सोरांव पूरब टोला,
सोरांव प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्पित पुत्र ऋषयन्त कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8500 3164 2074 में उसका नाम हर्षित अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्पित पुत्र ऋषयन्त कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ऋषयन्त कुमार पुत्र स्व0शिवलोचन सिंह,
निवासी– केन रोड क्योटरा गली न0 3,
जनपद बांदा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम यूवराज यादव (YUVRAJ YADAV) पुत्र प्यारे लाल यादव (PYARELAL YADAV) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–5793 6620 1032 में उसका नाम लकी यादव (LAKI YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम यूवराज यादव (YUVRAJ YADAV) पुत्र प्यारे लाल यादव (PYARELAL YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्यारे लाल यादव,
(PYARELAL YADAV)
पुत्र देवनाथ यादव,
पता–ग्राम राजेपुर, पो0 सेठवलिया,
गोपालपुर, तहसील लालगंज,
जिला आजमगढ़ उ0प्र0।

NOTICE

General Public is informed that my correct name is Keshar Yadav D/o Mithai Lal Yadav which is mentioned in my educational documents. By mistake, in my Aadhar Card No.-4333 4865 9831 my name has been mentioned as Kiran Yadav which is wrong. In future, I should be known and identified by my correct name Keshar Yadav D/o Mithai Lal Yadav.

it is hereby certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by my self.

Keshar Yadav,
R/o VIII. & Po. Jansa,
Tehsil Raja Talab,
District Varanasi.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम विजया चौबे पुत्री दुर्गेश कुमार चौबे है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–3833 0503 1990 में उसका नाम अरना चतुर्वेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम विजया चौबे पुत्री दुर्गेश कुमार चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दुर्गेश कुमार चौबे,
पुत्र स्व0 गिरजा शंकर चौबे
पता– न्यु बस्ती हरपुर, कालीदास नगर,
बलिया, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम शीला साहू (SHEELA SAHU) पत्नी चन्द्र मोहन साहू (CHANDRA MOHAN SAHU) है जो उनके आधार कार्ड सं0–4507 9953 8906 में अंकित है। त्रुटिवश मेरी सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में कहीं पर मेरी पत्नी का नाम शीला साहू (SHEELA SAHU) तथा कहीं पर शीला (SHEELA) अंकित हो गया है जो कि त्रुटिपूण है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

चन्द्र मोहन साहू,
पता–179ए तालाब नवल राय,
प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ईवांशी शर्मा पुत्री सुशील कुमार शर्मा है जो की उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–8837 3311 0006 में उसका नाम लक्ष्मी शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ईवांशी शर्मा पुत्री सुशील कुमार शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुशील कुमार शर्मा पुत्र बुधराम शर्मा,
पता–वासुदेव घाट सनकादिक,
नारायण आश्रम के सामने अयोध्या उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कुमारी सीमा पाल (KM SEEMA PAL) पुत्री हरिभान सिंह (HARIBHAN SINGH) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे आधार कार्ड सं0–5146 1857 7416 में मेरा नाम मनोरमा पाल पुत्री हरिभान सिंह पाल हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुमारी सीमा पाल (KM SEEMA PAL) पुत्री हरिभान सिंह (HARIBHAN SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कुमारी सीमा पाल (KM SEEMA PAL)
पुत्री हरिभान सिंह,
पता– हुसेपुर करन, सलेमपुर,
कन्नौज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदि शंकर दीक्षित पुत्र अंकुर दीक्षित है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6299 3136 5797 में उसका नाम कौस्तूब शंकर दीक्षित अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदि शंकर दीक्षित पुत्र अंकुर दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंकुर दीक्षित,
पता–20/114, सेक्टर–20,
इन्दिरानगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हौसला प्रसाद पाण्डेय पुत्र कमला प्रसाद पाण्डेय है जो कि मेरे सभी शैक्षिक अभिलेखों में अंकित

है। त्रुटिवश मेरा आधार कार्ड सं0–9568 9050 8597 में शपथकर्ता का नाम एच0पी0 पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हौसला प्रसाद पाण्डेय पुत्र कमला प्रसाद पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हौसला प्रसाद पाण्डेय,
पुत्र कमला प्रसाद पाण्डेय,
निवासी– ग्राम डांडो पोस्ट रोकड़ी खाई,
करछना, जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुराधा देवी पुत्री चक्रधर मिश्र है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7192 3296 5721 में मेरा नाम रचना अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनुराधा देवी पुत्री चक्रधर मिश्र पत्नी सज्जन पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुराधा देवी,
पत्नी सज्जन पाण्डेय,
निवासी– ग्राम टिकुरी दशरथपुर,
पोस्ट टिकुरी दशरथपुर कुण्डा,
जनपद प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो0 अरशद सिद्दीकी पुत्र मो0 मुमताज है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2138 2066 5195 में उसका नाम मो0 अरशद अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो0 अरशद सिद्दीकी पुत्र मो0 मुमताज के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मो0 मुमताज, पुत्र सिरताज,
पता– 43, शेखपुर, पोस्ट मोहम्मदपुर,
तहसील मुसाफिर खाना, मुहम्मदपुर,
अमेठी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम (KRISHNA GOPAL PAWAR) पुत्र राम सूजान है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हें त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–2971 9612 1152 में मेरा नाम (KRISHAN GOPAL PAWAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम (KRISHNA GOPAL PAWAR) पुत्र राम सूजान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कृष्ण गोपाल पवार,
पुत्र राम सूजान,
पता– 87बी रेलवे कॉलोनी, नम्बर 02,
सुबेदारगंज, इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अयांश पटेल पुत्र सत्येन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3402 0007 6468 में उसका नाम लक्ष्य पटेल अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अयांश पटेल पुत्र सत्येन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सत्येन्द्र कुमार,
पुत्र विजय सिंह,
पता–ग्राम मिर्जापुर पो0 दादरा,
जिला बाराबंकी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सुधा पुत्री लालमन यादव है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–3005 6069 3199 में उसका नाम बेबी यादव अंकित हो गया है, जो घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सुधा पुत्री लालमन यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लालमन यादव पुत्र सुब्बा यादव,
पता–ग्राम मोलनापुर, पोस्ट–भागवत मन्दे,
जनपद–आजमगढ़ उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मिष्ठी पुत्री गगन कुमार है जो उसके शैक्षिक व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–8901 4977 4051 में उसका नाम प्रिषा शुक्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मिष्ठी पुत्री गगन कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गगन कुमार पुत्र स्व0 सूर्य नारायण,
नि0–34 एल0आई0जी0 के0डी0ए0कालोनी,
नियर इंदिरा कानवेंट स्कूल,
जाजमऊ कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनिकेत खंडेलवाल पुत्र अनंत कुमार खंडेलवाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7169 4843 5571 में नाम ''साहिल खंडेलवाल'' अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनिकेत खंडेलवाल पुत्र अनंत कुमार खंडेलवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनिकेत खंडेलवाल,
पुत्र अनंत कुमार खंडेलवाल,
नि0–के 02 यशोदा नगर,
किदवई नगर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ईशांत मिश्रा पुत्र सतीश कुमार मिश्रा है जो कि उसे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2760 3058 3077 में उसका नाम आर्यन मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ईशांत मिश्रा पुत्र सतीश कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सतीश कुमार मिश्रा,
पुत्र स्व0 केशवधर मिश्रा,
निवासी–39/27–ए/9, करनपुर,
प्रयाग स्टेशन, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम Mo Uzashif पुत्र मोहम्मद जहीर है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मैंने आपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम Mo Uzashif से बदलकर Mohd. Asif रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को Mohd. Asif पुत्र मोहम्मद जहीर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मोहम्मद जहीर पुत्र मोहम्मद अली,
निवासी–सुरजीपुर, नौगवां, रैतासी,
सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पार्थसारथी त्रिपाठी (PARTHSARTHI TRIPATHI) पुत्र सौरभ त्रिपाठी है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या– (NNLKO-B-2012-126202) में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6074 7288 3682 में उसका नाम आहिल त्रिपाठी (AAHIL TRIPATHI) और शैक्षणिक अभिलेख में (PARTHSARTHI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम पार्थसारथी त्रिपाठी (PARTHSARTHI TRIPATHI) पुत्र सौरभ त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सौरभ त्रिपाठी
फ्लैट नं0 305–306,
वृन्दावन रेजीडेन्सी, टिकरी रोड,
डाफी, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निधि जौहरी पुत्री श्री राम प्रकाश जौहरी पत्नी श्री अजय कुमार निवासिनी–5डी, ए0पी0सेन रोड, चारबाग लखनऊ जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों एवं आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश एफ0डी0सी0 लिमिटेड के शेयर सर्टिफिकेट नं0–0005006 फोलियों नं0–मेरा नाम निधि अजय अंकित हो गया है उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम निधि जौहरी पुत्री श्री राम प्रकाश जौहरी एवं पत्नी अजय कुमार के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

निधि जौहरी,
पत्नी अजय कुमार,
पता–5डी, ए0पी0सेन रोड,
चारबाग, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रखर अग्रवाल, पुत्र प्रबल चंद्र अग्रवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख और आधार कार्ड में अंकित है। मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिष के अनुसार उसका नाम प्रखर अग्रवाल से बदलकर दक्ष अग्रवाल रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को दक्ष अग्रवाल पुत्र प्रबल चंद्र अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रबल चंद्र अग्रवाल,
196E/10M/1B भावापुर,
GTB नगर, प्रयागराज।

सूचना

मेरी पुत्री का नाम इकरा नाज पुत्री चंदा खां है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में भी अंकित है। उसके आधार कार्ड सं0–2129 0132 2472 में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम उमुल वरा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को इकरा नाज पुत्री चंदा खां के सही नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

चंदा खां पुत्र मोहम्मद रजा खां,
निवासी–निगोही,
शाहजहांपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सुजल पाण्डेय पुत्र सूर्य प्रकाश पाण्डेय (Surya Prakash Pandey) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0– 7990 3823 2173 में मेरे पुत्र का नाम रूद्र अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सुजल पाण्डेय पुत्र सूर्य प्रकाश पाण्डेय (Surya Prakash Pandey) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सूर्य प्रकाश पाण्डेय,
पुत्र राम टहल पाण्डेय,
कोंपा, राजगढ़, प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जतिन सिंह पुत्र प्रवीण कुमार पटेल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0–2697 0198 9926 में उसका नाम आराध्य अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जतिन सिंह पुत्र प्रवीण कुमार पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रवीण कुमार पटेल, पुत्र श्री रामचन्द्र,
पता–ग्राम सरिया पोस्ट एकली,
थाना अहरौरा तहसील चुनार,
जिला मिर्जापुर।

NOTICE

This is to inform that the correct name of my daughter is Priyanshi Shukla daughter of Dharmendra Kumar Garg, which is mentioned in her educational records, Due to some mistake, her name has been written as Pranshi Shukla in her Aadhar card number -2889 7890 4954, which is wrong. In future, my daughter should be known by the name of Priyanshi Shukla, daughter of Dharmendra Kumar Garg.

Dharmendra Kumar Garg,
S/o Ashok kumar,
Resident Dugwan Tehsil Karwi,
Chitrakoot.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जे0एस0जे0 स्पिनिंग मिल्स 7 किलोमीटर मीरगंज रोड कैम्पस के पीछे देहरादून रोड सहारनपुर का रजिस्ट्रेशन कार्यालय निदेशक फर्म सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर से दिनांक 15.02.2006 को हुआ था। जिसकी की अद्यतन पार्टनरशिप डीड दिनांक 15.05.2025 के अनुसार फर्म से श्री मनोज कुमार जैन पुत्र स्व0 जनेश्वर दास जैन निवासी स्थान ओल्ड डी0एस0ओ0 कम्पाउन्ड निकट आयकर कार्यालय सहारनपुर श्री मयंक जैन पुत्र श्री मनोज कुमार जैन निवासी स्थान ओल्ड डी0एस0ओ0 कम्पाउन्ड निकट आयकर कार्यालय सहारनपुर, श्रीमती मनीषा जैन पत्नी श्री राजीव जैन निवासी हाउस नंबर 190, सेक्टर–7, कुरूक्षेत्र, हरियाणा रिटायर हो गये हैं व श्री जनेश्वर दास जैन का स्वर्गवास दिनांक 12.03.2017 को हो गया।

पार्टनरशिप डीड दिनांक 15.05.2025 के अनुसार फर्म में श्रीमती सालोनी जैन पत्नी श्री प्रवीण जैन निवासी स्थान ओल्ड डी0एस0ओ0 कम्पाउन्ड निकट आयकर कार्यालय सहारनपुर, अपनी हिस्सेदारी की धारणीय देवर पुत्र में 50% की भागीदारी के साथ सम्मिलित हो गई हैं।

इस प्रकार अद्यतन डीड दिनांक 15.05.2025 के अनुसार श्रीमती पूनम जैन पत्नी श्री विनय कुमार जैन निवासी ओल्ड डी0एस0ओ0 कम्पाउन्ड निकट आयकर कार्यालय सहारनपुर एवं श्रीमती सालोनी जैन पत्नी श्री प्रवीण जैन निवासी ओल्ड डी0एस0ओ0 कम्पाउन्ड निकट आयकर कार्यालय, कोर्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर पार्टनर रह गई हैं।

पूनम जैन पत्नी श्री विनय कुमार जैन
पार्टनर
मेसर्स जे0एस0जे0 स्पिनिंग मिल्स।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स चन्द्रभान अनिल कुमार ग्लास वर्क्स, ग्राम ढोलपुरा, आगरा रोड, फिरोजाबाद में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह कि दिनांक 01.04.2025 को श्रीमती वीना देवी मित्तल पत्नी श्री नरेन्द्र प्रकाश मित्तल निवासी 33–39 गनेश नगर फिरोजाबाद (डायरेक्टर–मे0 एस0आर0 केबिल प्राईवेट लिमि0) को फर्म में साझेदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री नरेन्द्र प्रकाश मित्तल, श्रीमती श्वेता मित्तल, श्रीमती राशी मित्तल तथा श्रीमती वीना देवी मित्तल (डायरेक्टर–मे0 एस0आर0 केबिल प्राईवेट लिमि0) साझेदार हैं।

नरेन्द्र प्रकाश मित्तल
साझेदार
मेसर्स चन्द्रभान अनिल कुमार ग्लास वर्क्स,
ग्राम ढोलपुरा, आगरा रोड, फिरोजाबाद

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नारायनी इन्फ्राटैक, II फ्लोर, सर्राफा कॉम्पलेक्स, सर्राफा बाजार, अलीगढ़–202001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह कि दिनांक 16.07.2025 को श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गेंदालाल निवासी 19/68 ख्यालीराम ज्योतिषी वाली गली, गांधी नगर, अलीगढ़ को फर्म में साझेदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री अमित कुमार, रचना वार्ष्णेय, लाजेश कुमारी तथा श्री ओम प्रकाश साझेदार है।

अमित कुमार
साझेदार
मेसर्स नारायनी इन्फ्राटैक,
II फ्लोर, सर्राफा कॉम्पलेक्स,
सर्राफा बाजार, अलीगढ़–202001

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स उमा ग्लास वर्क्स, मोती का नगला 22 नीयर इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फिरोजाबाद में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह कि दिनांक 30.04.2025 को फर्म के पूर्व प्रथम भागीदार श्री गौरव सिंघल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल निवासी ए–1 गणेश नगर, फिरोजाबाद फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब फर्म में श्री प्रमोद कुमार गर्ग, श्री विवेक गर्ग, श्रीमती सुधा गर्ग तथा श्रीमती राधा गर्ग भागीदार है।

प्रमोद कुमार गर्ग
भागीदार
मेसर्स उमा ग्लास वर्क्स,
मोती का नगला 22 नीयर
इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फिरोजाबाद

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स वी0 वैन्चर्स, खसरा नं0–164, पीराखार, शाहदरा, ओल्ड फिरोजाबाद रोड, आगरा–282006 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह है कि उक्त फर्म में दिनांक 01.04.2025 को श्रीमती शुभ्रा जैन पत्नी श्री संजीव जैन निवासी म0नं0–1 रघुनाथ नगर, सुरेश प्लाजा, एम0जी0 रोड, आगरा को उक्त फर्म की भागीदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा उक्त दिनांक 01.04.2025 को ही श्रीमती अलका जैन पत्नी श्री आनन्द कुमार जैन निवासी निकट शहीद स्मारक पार्क, 3/309 पुनीत वृन्दावन अपार्टमेन्ट, संजय प्लेस सिविल लाइन्स, आगरा उक्त फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से हट गयी है। अब फर्म में श्रीमती तन्वी जैन तथा श्रीमती शुभ्रा जैन भागीदार हो गयी है।

तन्वी जैन
भागीदार
वी0 वैन्चर्स, खसरा नं0–164,
पीराखार, शाहदरा,
ओल्ड फिरोजाबाद रोड, आगरा–282006

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विशाल शिवम् (वी0 एस0 मोटर्स), एन0 एच0–28 सरया बाई पास नियर नवीन मण्डी स्थल खलीलाबाद, जनपद संतकबीर नगर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड

दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 से श्री मनीष कुमार रूंगटा जी एवं श्री कुंज बिहारी रूंगटा जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पत्रावली सं0 4813 पर पंजीकृत हैं यह की साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उक्त फर्म का नाम विशाल शिवम् (वी0 एस0 मोटर्स) से परिवर्तित कर मेसर्स वी0 एस0 मोटर्स कर दिया गया है तथा साझेदारी डीड 01 अप्रैल, 2024 से श्रीमती पूजा रूंगट जी उक्त फर्म में तृतीय साझेदार के रूप में शामिल है। अब उक्त फर्म में श्री मनीष कुमार रूंगटा, श्री कुंज बिहारी रूंगटा एवं श्रीमती पूजा रूंगटा जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

मनीष कुमार रूंगटा,
साझेदार,
मेसर्स वी0 एस0 मोटर्स, एन0 एच0–28,
सरया बाई पास नियर नवीन मण्डी स्थल,
खलीलाबाद, जनपद संतकबीर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ''मेसर्स रॉयल कैमिकल इन्डस्ट्रीज'', मौहल्ला सुल्तानपुर बुजुर्ग चौधरी सराय सम्भल, तह० व जिला– सम्भल (उ०प्र०) पंजीकरण सं0– SBU/0009225 नामक फर्म में पाँच पार्टनर श्री तेहजीब आलम, श्री तसलीम आलम, श्री तनजीम आलम, श्री तौकीर अशरफ एवं श्री कमरूज्जमा थे। पार्टनर श्री तेहजीब आलम, श्री तनजीम आलम एवं श्री कमरूज्जमा ने दिनांक 25.06. 2022 को रिटायरमेंट लेकर अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है। वर्तमान में फर्म में दो पार्टनर श्री तसलीम आलम एवं श्री तौकीर अशरफ रह गये हैं। रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनरों की उक्त फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है।

तौकीर अशरफ,
पार्टनर,
''मेसर्स रॉयल कैमिकल इन्डस्ट्रीज'',
मौहल्ला सुल्तानपुर बुजुर्ग चौधरी सराय,
सम्भल, तह० व जिला–सम्भल (उ०प्र०)।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स इम्पेरिया हेल्थकेयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल पता 14/17 कंचना बिहारी मार्ग कल्यानपुर लखनऊ से पंजीकृत है। यह कि 5 साझेदार– डॉ0 फारान अहमद, श्री खुर्शीद आलम खान, श्रीमती फातेमा शारेह नकवी, श्री इमादुद्दीन खान एवं श्री विकास वाही साझेदार थे। दिनांक 08 जुलाई, 2025 को नई साझेदारी बनी, जिसमें क्रमशः श्री विकास वाही अपनी स्वेच्छा से साझेदारी से निकल गये है। वर्तमान में उक्त फर्म में कुल 4 साझेदार क्रमशः डॉ0 फारान अहमद, श्री खुर्शीद आलम खान, श्रीमती फातेमा शारेह नकवी , एवं श्री इमादुद्दीन खान साझेदार के रूप में सम्मिलित है। जिसमें मुझे को आपत्ति नही है।

डॉ0 फारान अहमद,
साझेदार,
मेसर्स–इम्पेरिया हेल्थकेयर,
मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s RADHIKA INDUSTRIES, 69–A, Dada Nagar Co operative Industrial Estate Kanpur Nagar, Uttar Pradesh 208022 का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 28 जनवरी, 2020 को पंजीकरण सं० KAP/0005709 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 फरवरी, 2018 के अनुसार फर्म में श्री नितिन राय वैद, श्री उद्धव वैद, शगुन वैद व श्री सुभाष वैद साझीदार थे। भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के अनुसार साझीदारी में श्री चैतन्य वैद व श्री शान्तनु वैद को भागीदारी में शामिल किया गया है तथा श्रीमती शगुन वैद भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गयी हैं। फर्म में अब श्री नितिन राय वैद, श्री उद्धव वैद, श्री चैतन्य वैद, श्री शान्तनु वैद व श्री सुभाष वैद साझीदार हैं तथा फर्म का शाखा कार्यालय 83/141, जूही, कानपुर नगर–208014 बन्द कर दिया गया है।

नितिन राय वैद,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S KANHA ENTERPRISES, H-23, Site No- 1, Panki Industrial Area, Kanpur Nagar–208020 का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 02. जून, 2020 को पंजीकरण सं० KAP/0011546 दिनांक 31 मार्च, 2022 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 16 अक्टूबर, 2021 के अनुसार फर्म में श्री अभिषेक गुप्ता, श्री रजनीश गुप्ता व श्री आशीष गुप्ता साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के अनुसार साझीदारी में श्रीमती तनु गुप्ता को शामिल किया गया है तथा संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के अनुसार पूर्व साझीदार श्री रजनीश गुप्ता व श्री आशीष गुप्ता स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं और अब फर्म में श्री अभिषेक गुप्ता व श्रीमती तनु गुप्ता भागीदार हैं।

अभिषेक गुप्ता,
पार्टनर।

सूचना

भागीदारी फर्म मे० चाहर ब्रदर्स, ग्राम बाद पोस्ट ककुआ तहसील सदर आगरा–282009 का रजिस्ट्रेशन कार्यालय उपनिबंधक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स आगरा मण्डल, आगरा से कराया था। किन्तु दिनांक 18 जुलाई, 2025 से श्रीमती पूनम सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पोस्ट दौरेठा वानपुर नगला हीरामन, आगरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है । वर्तमान में श्री मनमोहन सिंह, श्री जुगेन्द्र सिंह चौधरी, श्री बृजवीर सिंह तथा श्रीमती पूनम सिंह जी साझेदार है।

मनमोहन सिंह,
साझेदार,
मे० चाहर ब्रदर्स, ग्राम बाद पोस्ट ककुआ,
तहसील सदर आगरा।

पी0एस0यू0पी0–18 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।